12

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति
(2021-2022)

सत्रहवीं लोक सभा

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अनुदानों की मांगें (2022-2023)

बारहवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2022/ चैत्र , 1944 (शक)

बारहवां प्रतिवेदन

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति
(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अनुदानों की मांगें (2022-2023)

24.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया ।

24.03.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2022/ चैत्र, 1944 (शक)

सी.यू.डी. संख्या - 125

मूल्यः .....रुपये

© 2021 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 382 (पंद्रहवां संस्करण) के अंतर्गत प्रकाशित और ..... द्वारा मुद्रित।

Coverpage/UD/Rajnish

अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवादित। - www.onlinedoctranslator.com

अंतर्वस्तु

			पृष्ठ
		समिति की संरचना	**(iii)**
		परिचय	**(iv)**
		रिपोर्ट	
		भाग I	
अध्याय I		परिचय	**1-2**
अध्याय II		आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की अनुदान मांगों (2022-23) का संक्षिप्त विवरण	**3-8**
अध्याय III		अनुदान की मांगों का योजना-वार/परियोजना-वार/मुद्दे-वार विश्लेषण (2022-23)	**9-**
	(ए)	**शहरी परिवहन और जन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम**	**9-13**
	(i)	**शहरी परिवहन योजना और शहरी परिवहन में क्षमता निर्माण** **प्रमुख शीर्ष**: 2217 (**शहरी विकास**) **माइनर हेड**: 001 (**दिशा और प्रशासन**) **विस्तृत शीर्ष**: 02.00.31 (**सामान्य सहायता अनुदान**)	
	(ii)	**संबद्ध बुनियादी ढांचे और हरित शहरी गतिशीलता पहल सहित सिटी बस सेवाओं का विस्तार**	
	(बी)	**प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-यू)**	**13-17**
	(i)	***पीएमएवाई (यू) के तहत भौतिक प्रगति***	
	(ii)	**पीएमएवाई के तहत वर्ष-वार आवंटन और रिलीज - यू**	
	(iii)	**प्रमुख शीर्ष**: 2216 (**आवास**)	
	(ए)	**लघु शीर्ष**: 02.190 (**सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता**) **विस्तृत शीर्ष**: 18.01.31 (**सामान्य सहायता अनुदान**)	
	(बी)	**लघु शीर्ष**: 02.789 (**अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना**) **विस्तृत शीर्ष**: 06.01.35 (**पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान**)	
	(सी)	**स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम)**	**17-21**
	(i)	**एससीएम के तहत वर्षवार आवंटन और विज्ञप्ति**	
	(ii)	प्रमुख शीर्ष: 3602 (विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान) लघु शीर्ष: 06.796 (आदिवासी क्षेत्र उप योजना) विस्तृत शीर्ष: 18.01.35 (पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान)	
	(डी)	**स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू)**	**21-26**
	(i)	**एसबीएम (यू) के तहत वर्ष-वार आवंटन और रिलीज**:	
	(ii)	***प्रमुख शीर्ष***: 3601 (***राज्य सरकारों को अनुदान सहायता***) **लघु शीर्ष**: 06.101 (**केंद्रीय सहायता/शेयर**) **विस्तृत शीर्ष**: 22.02.31 (**सामान्य सहायता अनुदान**)	

	(iii)	***प्रमुख शीर्ष***: 2217 (***शहरी विकास***) **माइनर हेड**: 05.001 (**दिशा और प्रशासन**) **विस्तृत शीर्ष**: 02.02.26 (**विज्ञापन और प्रचार**)	
	(इ)	**<u>दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)</u>**	**26-28**
	(i)	**डीएवाई-एनयूएलएम के तहत वर्षवार आवंटन और रिलीज**:	
	(ii)	प्रमुख शीर्ष: 3475 (अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (प्रमुख)) *लघु शीर्ष*: 00.108 (*शहरी उन्मुख रोजगार सेवाएं*) *विस्तृत शीर्ष*: 05.02.31 (*सामान्य सहायता अनुदान*)	
	(एफ)	**स्टेशनरी और प्रिंटिंग**	**28-30**
	(i)	**प्रमुख शीर्ष**: 4058 (**स्टेशनरी और प्रिंटिंग पर पूंजीगत परिव्यय**) **लघु शीर्ष**: 00.103 (**सरकारी मुद्रणालय**) **विस्तृत शीर्ष**: 02.00.52 (**मशीनरी और उपकरण**)	
	(जी)	**विभिन्न योजनाओं की जवाबदेही तंत्र**	**30-31**
	(i)	***उपयोग प्रमाण पत्र***	
	(ii)	***तृतीय पक्ष निगरानी***	
	(एच)	**नगरनिगम के बांड**	**31-33**
भाग II			
		सिफारिशें/टिप्पणियां	**34-49**
अनुबंध			
	I	**09.03.2022 को बैठक का कार्यवृत्त**	**50-53**
	II	**23.03.2022 को बैठक का कार्यवृत्त**	**54-55**

आवासन और शहरी कार्य संबंधी समिति (2021-2022) की संरचना

श्री जगदम्बिका पाल - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. एडवोकेट अब्दुल मजीद आरिफ
3. श्री बैन्नी बेहनन
4. श्री रामचरण बोहरा
5. श्री हिबी ईडन
6. श्री गौतम गंभीर
7. श्रीमती हेमामालिनी
8. श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील
9. श्री संजय कुमार बंदी
10. श्री शंकर लालवानी
11. श्री हसनैन मसूदी
12. श्री पी. सी. मोहन
13. श्री सी. आर. पाटिल
14. श्री अदला प्रभाकर रेड्डी
15. श्री एस. रामलिंगम
16. श्रीमती अपराजिता सारंगी
17. श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण
18. श्री राहुल रमेश शेवाले
19. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे
20. श्री सुनील कुमार सोनी
21. श्री रमेश चन्द्र कौशिक

राज्य सभा

22. श्री एम.जे. अकबर
23. श्री सुभाषीष चक्रवर्ती
24. श्री वाई.एस. चौधरी
25. डॉ. नरेन्द्र जाधव
26. श्री रामचन्द्र जांगड़ा
27. श्री कुमार केतकर
28. श्रीमती एम.सी. मेरी क़ॉम
29. श्री के.आर.एन. राजेश कुमार
30. श्री दिग्विजय सिंह
31. श्री संजय सिंह

सचिवालय

1.	श्री वी.के. त्रिपाठी	-	संयुक्त सचिव
2.	श्रीनिवासुलु गुंडा	-	निदेशक
3.	सुश्री स्वाति परवल	-	उप सचिव
4.	सुश्री जिशा जेम्स	-	कार्यकारी अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्राधिकृत किए जाने पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2022-23) पर आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का बारहवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों को लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ड. के अंतर्गत 10 फरवरी, 2022 को सभा पटल पर रखा गया था ।

3. समिति ने 09 मार्च, 2022 को हुई अपनी बैठक में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों से साक्ष्य लिया। समिति आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों का उसके समक्ष उपस्थित होने और मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की जांच से संबंधित अपेक्षित जानकारी देने के लिए उनका आभार प्रकट करती है ।

4. समिति उससे संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई अमूल्य सहायता के लिए उनकी भी प्रशंसा करती है।

5. समिति ने 23 मार्च, 2022 को हुई अपनी बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

6. संदर्भ की सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को मोटे अक्षरों में और उन्हें प्रतिवेदन के मुख्य भाग में मुद्रित किया गया है ।

नई दिल्ली;
23 मार्च, 2022
03 चैत्र, 1943(शक)

जगदम्बिका पाल
सभापति,
आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति

भाग- एक

अध्याय- एक

एक परिचय

भारत में शहरीकरण एक महत्वपूर्ण और अपरिवर्तनीय प्रक्रिया बन गया है, और यह राष्ट्रीय आर्थिक विकास और गरीबी में कमी का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। विकास की वर्तमान दर पर, भारत में शहरी आबादी 2030 तक 575 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत के 53 शहरों में एक मिलियन से अधिक आबादी थी और देश की आबादी का 31.16% अर्थात 3.72 करोड़ भारतीय शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। हालांकि, भारत का बड़े पैमाने पर शहरी परिवर्तन ग्रामीण से एक अर्ध-शहरी समाज में हुआ है , तथापि , जल आपूर्ति , सीवरेज, जल निकासी नेटवर्क, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क, सार्वजनिक परिवहन, सड़क प्रकाश व्यवस्था, पार्कों, साइक्लिंग ट्रैक आदि जैसी बुनियादी शहरी सेवाओं की आपूर्ति में आनुपातिक वृद्धि नहीं हुई है। भूमि और आवास की आपूर्ति और शहरी आबादी में वृद्धि के बीच तालमेल नहीं है।

1.2 जबकि, भारत की 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा जारी है, भारत के विकास में शहरी भारत की भूमिका का योगदान उल्लेखनीय है। आज, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में शहरी भारत का योगदान 65% का है, जिसके 2030 तक 70% तक बढ़ने का अनुमान है, यह एक अभूतपूर्व विस्तार है जो भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को बदल देगा। इस समय के दौरान, 60% शहरी नागरिक मध्यम वर्ग के ब्रैकेट में चले जाएंगे और हर साल 1 मिलियन + युवा लोग कार्यबल में जाएंगे, इस प्रकार तीव्र और पारदर्शी सेवाओं और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की मांग करेंगे। इसलिए, जबकि भारत युवा भारत की आकांक्षाओं से प्रेरित होकर शहरीकरण करना जारी रखेगा, व्यापक भारत के मौजूद शहरी अवसर को साकार करने हेतु शहरीकरण की गुणवत्ता अधिकारियों के लिए सर्वोपरि हो जाती है।

1.3 भारत में शहरीकरण की चुनौती योजना बनाते समय आवश्यक उन्नत न्यूनतम मानकों पर सेवा वितरण सुनिश्चित करना है। इस शहरी विकास को बनाए रखने के लिए भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना के व्यापक विकास की आवश्यकता है।

1.4 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को शहरी आवास और शहरी विकास से संबंधित कार्यक्रमों के व्यापक नीति निर्माण और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत, मंत्रालय के पांच संबद्ध कार्यालय हैं, अर्थात् (i) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

(सीपीडब्ल्यूडी), (ii) मुद्रण निदेशालय, (iii) संपदा निदेशालय, (iv) भूमि तथा विकास कार्यालय (एल एंड डी ओ) ;तथा (v) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (एन बी ओ); तीन अधीनस्थ कार्यालय, अर्थात् नगर और ग्राम नियोजन संगठन (टी सी पी ओ), भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय (जी आई एस ओ); तथा, (iii) प्रकाशन विभाग; तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अर्थात् (i) एन बी सी सी (इंडिया) लिमिटेड., (ii) हुडको; तथा , (iii) हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एच पी एल) और आठ सांविधिक/स्वायत्त निकाय, अर्थात् (i) दिल्ली नगर कला आयोग (डी यू ए सी), (ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन सी आर पी बी), (iii) डीडीए, (iv) राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एनआईयूए), (v) राजघाट समाधि समिति, (vi) निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद (बी एम टी पी सी), (vii) राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ (एन सी एच एफ) (viii) केंद्र सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सी जी ई डब्ल्यू एच ओ)।

*****

अध्याय –दो

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2022-23) का संक्षिप्त सिंहावलोकन

2.1 वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मंत्रालय का बजट मांग संख्या 60- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत दर्शाया गया है। मांग संख्या 60- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत समग्र बजट अनुमान (बीई) 2022-23 76,718.47 करोड़ रुपये (सकल) का प्रावधान है, जिसमें से राजस्व खंड के तहत 49,208.45 करोड़ रुपये और पूंजी खंड के तहत 27,341.02 करोड़ रुपये हैं। 169.01 करोड़ रुपए की अनुमाति वसूलियों के बाद वर्ष 2022-23 का निबल बजट अनुमान 75549.46 करोड़ रुपए है।

2.2 मंत्रालय के वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 76,549.46 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन वित्त वर्ष 2021-22 में 54,581 करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान की तुलना में 40% अधिक है।

2.3 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का पिछले छ वर्षों का बीई/आरई/वास्तविक व्यय का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बीई	आरई	वास्तविक
2016-17	29,934.00	37,896.75	36,946.32
2017-18	40,617.84	40,753.84	40,061.02
2018-19	41,765.13	42,965.13	40,611.87
2019-20	48,032.17	42,389.72	41,996.91
2020-21	50,039.90	47,090.17	46,701.37
2021-22	54,581.00	73,850.26	52,553.00 (07.02.22 तक)
2022-23	76,549.46		

2.4 उपर्युक्त तालिका के अनुसार, मंत्रालय ने पिछले दो वित्तीय वर्षों, अर्थात् 2019-20 और 2020-21 में बीई चरण की तुलना में आरई पर अपने आवंटन को कम कर दिया है। हालांकि वित्त वर्ष 2021-22 में आरई चरण में करीब 35 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

2.5 वर्ष दर वर्ष मंत्रालय के बजट में वृद्धि के बारे में विस्तार से बताते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव ने 09.03.2022 को समिति के समक्ष उपस्थित होते हुए निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

> **"हमारेमंत्रालयकाबजटभीसालदरसालबढ़ताजारहाहै।पहलेकेमुकाबलेबजटमेंतीनगुनाकीवृद्धिहोगईहै।वर्ष 2004-05 से 2013-14 तकऔसतन 16 हजारकरोड़रुपएकाबजटहुआकरताथा।वर्ष 2014 केबादसेयह 53 हजारकरोड़रुपएकाबजटहोगयाहै, जोबढ़ते-बढ़ते 76 हजारकरोड़रुपएकाहोगयाहै।"**

2.6 वर्ष 2021-22 में 19,269.26 करोड़ रुपये की आरई में वृद्धि के कारणों के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत प्रस्तुत किया:

"54,581 करोड़ रुपये के बीई 2021-22 से अधिक आरई 2021-22 में 19,269.26 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्य रूप से प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 19,000 करोड़ रुपये, पीएमस्वनिधि के तहत 100 करोड रुपये तथा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट्स/नए संसद भवन सहित सीपीडब्ल्यूडी के जीपीआरए/जीपीओए के लिए 169.26 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए है।

आरई पर प्रदान की गई 19,269.26 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि में से 14,217.02 करोड़ रुपये का नकद व्यय द्वितीय अनुपूरक अनुदान मांगों (एसडीजी) के माध्यम से अनुमोदित किया गया था और एसडीजी के तृतीय बैच में अन्य प्रस्तावों के साथ शेष राशि दर्शायी गई है । लगभग 88.75% का व्यय उपलब्ध (68,540.71 करोड़ रुपये में से 60,832 करोड रुपये) द्वितीय अनुपूरक तक पहले ही किया गया है। वर्तमान गति के साथ चलते हुए, मंत्रालय को चालू वर्ष के दौरान आवंटित निधि का पूरी तरह से उपयोग किए जाने की उम्मीद है।"

2.7 यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय दो महीने से भी कम समय (लगभग) में आरई के शेष 29% (लगभग 21,000 करोड़ रुपये) व्यय करने के लिए आश्वस्त है, मंत्रालय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इस प्रकार बताया :

"वर्तमान गति के साथ चलते हुए, मंत्रालय को चालू वर्ष के दौरान आवंटित निधि का पूरी तरह से उपयोग किए जाने की उम्मीद है।"

2.8 2022-23 के लिए निरपेक्ष राशियों के साथ-साथ सभी बीई प्रावधानों के प्रतिशत के संदर्भ में योजना-वार आवंटन पर आंकड़े निम्नानुसार है: -

(₹ करोड़ में)

क्रम.सं.	स्कीमों के नाम	बजट अनुमान	% में वितरण
1.	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	28,000	36.6
2.	एम आर टी एस और मेट्रो परियोजनाएं	23,875	31.2
3.	अमृत	7,300	9.6
4.	100 स्मार्ट शहर मिशन	6,800	8.8
5.	स्वच्छ भारत मिशन	2,300	3.0
6.	जी पी ए (रिहायशी /गैर- रिहायशी)- के लो नि वि	3,474.01	4.5
7.	एन यू एल एम	900	1.2
9.	प्रधान मंत्री स्वनिधि	150	0.2
10.	गैर-योजना/अन्य योजनाएं *	3,750.45	4.9
	कुल योग	76,549.46	100
	* पीएचई क्षेत्र विकास (₹2 करोड़) और एन के वी वाई (0.01 करोड़) शामिल हैं।		

2.9 केन्द्र प्रायोजित स्कीमों और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के लिए कुल प्रावधान क्रमश 45,300 करोड़ रुपये और 27,501.02 करोड़ रुपये हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान (जीआईए) निम्नानुसार है -

(क) राज्य सरकारों को सहायता अनुदान - ₹37,824.35 करोड़

(ख) संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान - ₹816.01 करोड़

2.10 पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के लिए बजटीय आवंटन 2021-22 में 25,759 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 27,341 करोड़ रुपये हो गया है। सेंट्रल विस्टा परियोजनाओं के लिए सीपीडब्ल्यूडी के तहत मुख्य वृद्धि की गई है।

2.11 राजस्व व्यय के लिए बजटीय आवंटन 2021-22 में 28,822 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 49,208 करोड़ रुपये हो गया है। मुख्य वृद्धि पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत है।

2.12 पूंजीगत व्यय राजस्व व्यय से कम होने के कारणों को स्पष्ट करते हुए, सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 09.03.2022 को समिति के समक्ष उपस्थित होते हुए निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

> **"दूसरामहत्वपूर्णएस्पेक्टकैपिटलइनवेस्टमेंटरहाहै।भारतसरकारकाफोकस कैपिटलइनवेस्टमेंटपरबहुतज्यादाहै।हमारीस्कीम्समेंसेकुछतोकैपिटलसेक्टरकी हैंऔरकुछरेवेन्यूकीहैं,**

लेकिनवेटेक्निकलतौरपररेवेन्यूकीस्कीम्सहीहैं।उनकासारापैसाकैपिटलइनवेस्टमेंटमेंहीस्टेटलेवलपर जाताहै।जबहमस्टेटलेवलकोग्रांट्सदेतेहैं, सेंट्रलीस्पांसर्डस्कीम्समें, तोवहरेवेन्यूमेंमानीजातीहै, लेकिनअमृतमेंयास्वच्छभारतयापीएमआवासयोजनामेंकैपिटलइनवेस्टमेंटमेंहीवेपैसेउपयोगहोतेहैं।य दि 10-15 परसेंटकोछोड़दियाजाए, तोबाकीसारीस्कीम्सकैपिटलइनवेस्टमेंटमेंहीजातीहैं, चाहेहमउनकोटेक्निकलीकैपिटलइनवेस्टमेंटमेंक्लासिफाईनहींकरें। "

2.13 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना को एसबीएम (यू) 2.0 के रूप में विस्तारित किया गया है और इसे 1 अक्टूबर, 2021 को "कचरा मुक्त शहरों" को प्राप्त करने के समग्र उद्देश्य के साथ लॉन्च किया गया था, जबकि हमारे सफाई कर्मचारियों और सफाई मित्रों के कल्याण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था। पांच वर्षों (2021-22 से 2025-26) के लिए कुल मिशन आवंटन 1,41,678 करोड़ रुपये है; इसमें से, केंद्रीय सहायता 36,465 करोड़ रुपये है। एसबीएम-यू 2.0 को सभी शहरों के लिए "कचरा मुक्त" स्थिति प्राप्त करने की दृष्टि के साथ लागू किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इस योजना के लिए 2300 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

2.14 इसी तरह से, अमृत के तहत 500 शहरों से लगभग 4,812 सांविधिक नगरों में जल आपूर्ति के सार्वभौमिक कवरेज के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए, अमृत 2.0 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 1 अक्टूबर, 2021 को लॉन्च किया गया है।मिशन का लक्ष्य लक्षित परिणामों को प्राप्त करने के लिए 2.68 करोड़ नल कनेक्शन और 2.64 करोड़ सीवर/सेप्टेज कनेक्शन प्रदान करना है। नया मिशन

500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन का सार्वभौमिक कवरेज भी प्रदान करेगा। नए मिशन का लक्ष्य गैर-राजस्व जल को कम करके, उपयोग किए गए शोधित जल का पुनः उपयोग, जल निकायों का कायाकल्प और वर्षा जल संचयन करके जल सुरक्षित शहरों को लक्षित करता है। परियोजना कार्यान्वयन का पीपीपी मोड, 24x7 जलापूर्ति, जल क्षेत्र में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करना, डिजिटल निगरानी और पेयजल सर्वेक्षण अमृत 2.0 के मुख्य आकर्षण हैं। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों के लिए अमृत 2.0 के लिए कुल सांकेतिक परिव्यय 2,99,000 करोड़ रुपये है और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इस योजना के लिए परिव्यय 7,300 करोड़ रुपये है।

2.15 हाल ही में शुरू किए गए एसबीएम 2.0 और अमृत 2.0 की व्याख्या करते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव ने 09.03.2022 को समिति के समक्ष उपस्थित हुए, निम्नानुसार प्रस्तुत किया :

"जैसाकिआपकोविदितहैकिस्वच्छभारतमिशन 2.0 माननीयप्रधानमंत्रीजीने 1 अक्तूबरकोलांचकियाथा, जिसकाउद्देश्ययहथाकिसभीसिटीजकोगारबेजफ्रीबनायाजासकेएवंसैनिटेशनवर्कर्सऔरसफाईमित्रों केवेलफेयरपरभीइसबार फोकसहै।स्वच्छभारतमिशन 2.0 केतहतपाँचसालकाटोटलएलोकेशन 1 लाख 41 हजारकरोड़ रुपएहै, उसमेंसे 36 हजारकरोड़रुपएसेंट्रलएसिस्टेंसहै।इसीप्रकारसे, अमृत 2.0 माननीयप्रधानमंत्रीजीने 1 अक्तूबर, 2021 कोलांचकियाथा, जिसमेंटारगेटहैकि 2.68 करोड़पानीकेकनेक्शंसदिएजाएंऔर 2.64 करोड़सीवेजऔरसेप्टेजकेकनेक्शंसदिएजाएं।इसकेसाथही, सीवेजएवंसेप्टेजकी 500 अमृतसिटीजमेंयूनिवर्सलकवरेजहै।इसकेसाथही, हमनेनएटारगेट्सभीलिएहैंकिवॉटरसिक्योरसिटीजबनाएजाएंताकिनॉनरेवेन्यूवॉटरकमकियाजासके, कमसेकम 20 परसेंटट्रीटेटवॉटरउपयोगकियाजासके।सीवेजकेबाद, वॉटरबॉडीजकारीजूविनेशन, रेनवॉटरहार्वेस्टिंग, 24x7 वॉटरसप्लाई, स्टार्टअप्सकोएंकरेजकरना, डिजिटलमॉनिटरिंग, पेयजलसर्वेक्षणआदिअमृत 2.0 मेंहाइलाटेडहैं।पाँचसालकाइसका टोटलबजट 5 लाख 99 हजारकरोड़रुपएकाहै, उसमेंसेसेंट्रलशेयर 66 हजार 750 करोड़रुपएहै।"

2.16 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन में बीई 2021-22 के बजटीय आवंटन की तुलना में 250% की वृद्धि की गई है।

2.17 नए संसद भवन सहित सेंट्रल विस्टा परियोजनाओं के लिए आवंटन को 2021-22 में 1,286 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2022-23 में 2,285 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे सरकार की इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सकेगा।

2.18 वर्ष 2022-23 के लिए सरकार के कुल व्यय बजट में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन का हिस्सा 2021-22 में 1.57% से बढ़कर 2022-23 में 1.94% हो गया है।

2.19 सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए कुल आवंटन में से, प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) सहित केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के लिए आवंटन का हिस्सा 2021-22 में 6.5% से बढ़कर 2022-23 में 10.23% हो गया है।

2.20 वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों हेतु मंत्रालय के लिए आबंटन का हिस्सा जिसमें मेट्रो परियोजनाएं और नई संसद और क्षेत्र में सेंट्रल विस्टा सहित सरकारी भवनों का निर्माण शामिल है, 2.33% है।

*****

अध्याय-तीन

अनुदानों की मांगों (2022-23) का स्कीम-वार/परियोजना-वार/मुद्दा-वार विश्लेषण

(क) <u>शहरी परिवहन और मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम</u>

(एक) शहरी परिवहन योजना शहरी परिवहन में और क्षमता निर्माण

मुख्य शीर्ष : 2217 (शहरी विकास)

80 (सामान्य)

लघु शीर्ष: 001 (निदेश और प्रशासन)

उप शीर्ष: 02 (शहरी परिवहन योजना और शहरी परिवहन में क्षमता निर्माण)

विस्तृत शीर्ष: 02.00.31 (सामान्य सहायता अनुदान)

3.1 इस शीर्ष का उद्देश्य, जैसा कि मंत्रालय द्वारा अपने लिखित उत्तर में प्रस्तुत किया गया है, निम्नवत है:

"... इस का उद्देश्य व्यापक यातायात और परिवहन अध्ययन, व्यापक गतिशीलता योजना (सीएमपी) और एकीकृत भूमि उपयोग के सभी प्रकार के यातायात और परिवहन अध्ययन की तैयारी के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करना है। व्यक्तिगत शहरी परिवहन मेट्रो/एमआरटीएस परियोजनाओं आदि के लिए तकनीकी-व्यवहार्यता अध्ययन/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भी योजना के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए स्वीकार्य घटक हैं।

इसका उद्देश्य प्रशासकों/निर्णय निर्माताओं/शहरी परिवहन योजनाकारों को योजना के प्रारंभिक चरण में और वहां सुरक्षित, किफायती, त्वरित, आरामदायक, विश्वसनीय और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देकर सार्थक परियोजनाओं के लिए मार्गदर्शी दस्तावेज प्रदान करना है।"

3.2 इस शीर्ष के अंतर्गत पिछले चार वित्तीय वर्षों के लिए बीई, आरई और वास्तविक आंकड़े इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बीई	आरई	वास्तविक आंकड़े
2017-18	18.00	18.00	11.61
2018-19	12.42	9.42	6.44
2019-20	12.42	12.42	3.32
2020-21	6.54	6.54	1.84
2021-22	9.96	9.96	
2022-23	11.96		

*** 31.01.2022 की स्थिति के अनुसार**

3.3 अनुदानों की विस्तृत मांगों से यह देखा गया है कि 2017-18 से 2020-21 तक के वित्तीय वर्षों के दौरान संबंधित आरई की तुलना में भी निधियों का कम उपयोग किया गया है। आरई स्तर पर भी आबंटित निधियों की पूरी राशि को खर्च नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार प्रस्तुत किया: -

"यह योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मांग पर आधारित है और किसी भी राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र /शहरी स्थानीय निकाय/मेट्रो रेल निगम आदि को कोई विशिष्ट निधि आवंटित नहीं की जाती है। केंद्र सरकार शहरों के लिए सभी प्रकार की सीएमपी के लिए अनुदान के रूप में लागत का 80% प्रदान करती है। लागत का शेष 20% संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों/मेट्रो निगमों आदि द्वारा वहन किया जाता है। इसके अलावा, मेट्रो/एमआरटीएस परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/तकनीकी-व्यवहार्यता रिपोर्ट के मामले में, अनुदान अध्ययन/रिपोर्ट की कुल लागत के केवल 50% तक सीमित है। लागत अनुदान संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/शहरी स्थानीय निकाय/मेट्रो निगम द्वारा शेष वहन का 50% किया जाना है।

संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों/शहरी स्थानीय निकायों/मेट्रो निगमों द्वारा शुरू किए गए प्रस्तावों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद ही निधियां जारी की जाती हैं।

संबंधित वर्षों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों/मेट्रो निगमों से कम मांग प्राप्त होने के कारण इस शीर्ष में निधियों का कम उपयोग किया जा रहा है।

स्थिति में सुधार के लिए और इस तरह योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, विभिन्न व्यापक गतिशीलता योजनाओं (सीएमपी), शहरी परिवहन अध्ययन/तकनीकी-व्यवहार्यता अध्ययनों/सर्वेक्षण जागरूकता अभियान आदि चलाने के लिए दिनांक 26.10.2021 को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सभी राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था।"

(दो) संबद्ध अवसंरचना और हरित शहरी आवागमन पहल सहित सिटी बस सेवाओं का विस्तार:

3.4 बजट 2021-22 में घोषणा के अनुसार, जीएचजी उत्सर्जन में कमी और सतत आवागमन की सहायता करने के लिए हरित शहरी आवागमन पहल और संबद्ध अवसंरचना सहित पीपीपी मोड पर "हरित शहरी आवागमन पहल संबद्ध अवसंरचना सहित सिटी बस सेवाओं का विस्तार" नामक एक नई योजना 18,010 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ तैयार की जा रही है । योजना की कुल अवधि 8 वर्ष है। योजना का अनुमोदन ईएफसी स्तर पर है जो शीघ्र ही आयोजित होने की संभावना है।

3.5 यह स्मरण किया जाए कि समिति ने बजट 2021-22 में 18000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक नई योजना - '5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में संगठित सिटी बस सेवा' शुरू करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की सराहना करते हुए टियर-II शहरों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो काफी हद तक परिवहन के प्रदूषणकारी साधनों और भरोसेमंद सिटी बस सेवाओं की कमी पर निर्भर करते हैं। समिति ने अनुदानों की मांगों (2021-22) के संबंध में अपने 5वें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि लक्षित शहरों में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर बड़ा प्रभाव डालने वाले इस प्रमुख पहल को मिशन मोड में शुरू किया जा सकता है ताकि आवश्यक

अवसंरचना जैसे विद्युत चार्जिंग पॉइंट, सीएनजी स्टेशनों का परिचालन आदि का निर्माण समय पर किया जा सके।

3.6 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने उपर्युक्त सिफारिश के संबंध में अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत प्रस्तुत किया:

"आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने पांच वर्ष की अवधि के लिए 17,490 करोड़ रूपए के अनुमानित परिव्यय के साथ पहाड़ी/केंद्र शासित प्रदेशों/पूर्वोत्तर राज्य के राजधानी शहरों सहित 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए 20,000 से अधिक शहरी बसों की खरीद के माध्यम से 111 शहरों में बस आधारित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने के लिए "अधिसूचित नगर पालिकाओं/नगर निगमों के लिए संबद्ध बुनियादी ढांचे और हरित शहरी गतिशीलता पहल कार्य सहित शहरी बस सेवाओं का विस्तार" नामक एक नई योजना शुरू करने की प्रक्रिया आरम्भ की है। इस योजना के दो भाग हैं (क) संबद्ध बुनियादी ढांचे के साथ बसों का वित्तपोषण और (ख) हरित शहरी गतिशीलता पहल कार्य। ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहलों के तहत, शहरों के पर्यावरण और जलवायु के अनुकूल विकास का समर्थन करने वाली कम कार्बन वाली शहरी परिवहन परियोजनाओं पर जोर दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (ईवीसीआई) की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए आदर्श भवन निर्माण उपनियम (एमबीबीएल), 2016 और शहरी क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 में संशोधन किए हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (ईवी) के लिए उपयुक्त प्रावधान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को उचित निदेश जारी किए हैं।"

3.7 चूँकि इस योजना की घोषणा बजट 2021-22 के दौरान की गई थी, एक वर्ष बीत चुका है और यह योजना अभी भी व्यय वित्त आयोग (ईएफसी) स्तर पर है, समिति ने जब कारणों के बारे में पूछा तो मंत्रालय ने योजना शुरू करने में विलंब के कारणों के बारे में निम्नवत लिखित उत्तर दिया:

> **"प्रस्तावित योजना मार्च, 2021 में तैयार की गई थी और व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकन के लिए ईएफसी मेमो व्यय विभाग को भेजा गया था। योजना का मूल्यांकन 22 अप्रैल, 2021 को किया गया था और सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में ईएफसी द्वारा एक संरचनात्मक परिवर्तन की सलाह दी गई थी।**

इसके बाद, मंत्रालय में राज्य सरकारों के अधिकारियों, शहर के अधिकारियों, बस निर्माताओं और बस ऑपरेटरों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई और उनकी फीडबैक / इनपुट प्राप्त किए गए। योजना का पुनर्गठन किया गया है और अंतर-मंत्रालयी परामर्श किया गया है। प्रस्ताव मंत्रालय में अनुमोदन के अग्रिम स्तर पर है और इसे मार्च, 2022 के महीने में ईएफसी द्वारा मूल्यांकन के लिए व्यय विभाग को प्रस्तुत करने पर विचार किया जा रहा है।"

(ख) प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-यू)

(i) पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत वास्तविक प्रगति

3.8 09.03.2022 को समिति के समक्ष उपस्थित होकर, एमओएचयूए के प्रतिनिधियों ने समिति को पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत वास्तविक प्रगति के बारे में निम्नानुसार जानकारी दी:

"....हम लोगों ने अभी तक लगभग 1 करोड़ 15 लाख घर सैंक्शन किए हैं। इनमें से 94 लाख से अधिक घर कन्स्ट्रक्शन के लिए शुरू हो चुके हैं और 55 लाख से अधिक पूरे हो चुके हैं। इसमें 18 लाख 74 हजार से अधिक सीएलएसएस के बेनिफिशियरीज हैं, जिसमें 6 लाख एमआईजी के बेनिफिशियरीज हैं। अगर इसके इकोनॉमिकल और इंडस्ट्रियल आउटकम्स देखें, तो इसका यह इम्पैक्ट है कि जब भी एक घर बनता है, तो स्टील, सीमेंट इत्यादि के कन्जम्पशन की वजह से कई इंडस्ट्रीज पर उसका फर्क पड़ता है और इसका मल्टिपल इफेक्ट होता है। हम उम्मीद करते हैं कि 31 मार्च तक हमारे 1 लाख और सैंक्शन हो जाएंगे।"

3.9 पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत निर्मित घरों के 'निर्माण की गुणवत्ता' के बारे में समिति की चिंता का जवाब देते हुए, सचिव, एमओएचयूए ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

"... अगर कोई घर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आता है, तो मंत्रालय जवाबदेह है। चाहे वह राज्य सरकार बना रही हो। आप ऐसे जितने भी इंसीडेंट्स हैं, उन्हें हमें बताइए, हम उसमें पूरी इंक्वायरी करके आपको पूरी रिपोर्ट देंगे और उसमें एक्शन लेंगे। अगर गड़बड़ हुई है तो उसमें पूरा एक्शन लिया जाएगा।"

(ii) पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत वर्षवार आवंटन और जारी राशि

क. <u>सकल बजटीय सहायता(जीबीएस)</u>

3.10 2015-16 से (वर्ष वार) पीएमएवाई- यू के अंतर्गत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय/जारी राशि संबंधी आंकड़े निम्नवत हैं:

(करोड रूपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक जारी राशि
2015-16	5,088.31	1,662.73	1,486.15

2016-17	5,075.00	4,936.10	4,872.92
2017-18	6,042.81	8,642.01	8,591.35
2018-19	6,505.00	6,505.00	6,143.79
2019-20	6,853.26	6,853.26	6,851.09
2020-21	8,000.00	21,000.00	20,983.16
2021-22	8,000.00	27,000.00	11,962.62 (31.12.2021 तक)

ख. <u>अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर):</u>

(करोड रूपए में)

वर्ष	ईबीआर के प्रावधान	ईबीआर में बढोतरी	वास्तविक जारी राशि
2017-18	8,000.00	8,000.00	8,000.00
2018-19	25,000.00	20,000.00	20,000.00
2019-20	20,000.00	15,000.00	15,000.00
2020-21	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2021-22	7,000.00*	-	-

*** पीएमएवाई-यू वित्तपोषण के लिए बीएमटीपीसी के लिए आईबीआर के रूप में बजट 2021-22 में प्रदत्त कराए गए हैं।**

3.11 पीएमएवाई 2.0 के अंतर्गत बजटीय आवंटन में वृद्धि के बारे में विस्तार से बताते हुए, सचिव, एमओएचयूए ने 09.03.2022 को समिति के समक्ष उपस्थित होकर निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

> **"वर्ष 2022-23 और 2023-24 में एफोर्डेबल हाउसिंग के अंतर्गत हाउसिंग फॉर ऑल का टारगेट कमप्लीट करना है। इस साल एलोकेशन 28 हजार करोड़ रुपए का है, हमारी रिक्वायरमेंट इससे ज्यादा होगी। हमने इससे ज्यादा मांगा भी था। वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में लगभग 82 हजार करोड़ रुपए हमें हाउसिंग फॉर ऑल के अंतर्गत चाहिए। हमें वित्त मंत्रालय ने बताया है कि जो भी एलोकेशंस हैं, इसके बाद जितने भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, वे देंगे, लेकिन अभी हमारा एलोकेशन 28 हजार करोड़ रुपए है। वर्ष 2021-22 में जो एलोकेशन था, उससे बढ़ाकर सं.अ. में एलोकेशन दिया गया था। लेकिन उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जो भी फण्ड्स की रिक्वायरमेंट होगी, जब यह फण्ड खर्च हो जाएगा, तो हमें और फण्ड दिया जाएगा।"**

(III) मुख्य शीर्ष: 2216 (आवास)

(क) लघु शीर्ष: 02.190 (सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता)

उप शीर्ष: 18 (पीएमएवाई (यू))

18.01 (पीएमएवाई (यू) के लिए क्षमता अभिवृद्धि, प्रशासन और अन्य खर्चे

विस्तृत शीर्ष: 18.01.31 (सामान्य सहायता अनुदान)

3.12 मंत्रालय द्वारा अपने लिखित उत्तर में बताए गए इस शीर्ष का उद्देश्य इस प्रकार है:

"पीएमएवाई-यू के अंतर्गत केंद्रीय क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों को निधियां जारी की जाती हैं। इस शीर्ष का उपयोग पीएमएवाई-यू के प्रौद्योगिकी उप-मिशन घटक और किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी), पीएमएवाई-यू के अंतर्गत एक उप-योजना के अंतर्गत प्रदर्शन आवास परियोजनाओं (डीएचपी) और लाइट हाउस परियोजनाओं (एलएचपी) के कार्यान्वयन के लिए भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) को सहायता अनुदान जारी करने के लिए किया जा रहा है।"

3.13 पिछले चार वित्तीय वर्षों के लिए ब.अ., सं.अ. और वास्तविक आंकड़े इस प्रकार है: -

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वास्तविक आंकड़े**
2017-18	**0.01**	**0.01**	**0.00**
2018-19	**8.01**	**8.01**	**-**
2019-20	**8.57**	**103.57**	**103.57**
2020-21	**250.00**	**250.00**	**71.79**
2021-22	**695.00**	**398.00**	**13.53***
2022-23	**450.00**		

***31.12.2021 की स्थिति के अनुसार**

3.14 (i) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, इस शीर्ष के अंतर्गत किए गए वास्तविक व्यय; और, (ii) डीडीजी 2020-21 में इस शीर्ष के अंतर्गत किए गए वास्तविक व्यय पर डेटा प्रस्तुत नहीं करने के कारणों, के ब्यौरे के सम्बंध में मंत्रालय ने निम्नवत प्रस्तुत किया:

"वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान शीर्ष के अंतर्गत व्यय निम्नानुसार है : -

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वास्तविक**
2017-18	**0.01**	**0.01**	**0.00**
2018-19	**8.01**	**8.01**	**0.00**
2019-20	**8.57**	**103.57**	**103.57**
2020-21	**250.00**	**250.00**	**71.79**
2021-22	**695.00**	**398.00**	**93.45**

"

3.15 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, ब.अ. चरण से सं.अ. चरण तक भारी वृद्धि देखी गई है। सं.अ. चरण पर ऐसी वृद्धि के कारणों को बताते हुए, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"आवासों के तीव्र और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए आधुनिक, नवीन और हरित प्रौद्योगिकियों और निर्माण सामग्री को अपनाने की सुविधा के लिए पीएमएवाई-यू के अंतर्गत एक प्रौद्योगिकी उप मिशन (टीएसएम) स्थापित किया गया है। टीएसएम के अंतर्गत, प्रदर्शन आवास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी और तदनुसार, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोग के माध्यम से शीर्ष के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई थी।"

3.16 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, उपयोग की गई राशि सं.अ. चरण में आवंटित राशि के एक तिहाई से भी कम थी। इस शीर्ष के अंतर्गत निधियों के अत्यंत कम उपयोग के कारणों के बारे में बताते हुए मंत्रालय ने निम्नवत प्रस्तुत किया:

"वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स (एलएचपी) और डीएचपी प्रोजेक्ट्स कोविड-19 महामारी के कारण, वांछित प्रगति प्राप्त नहीं कर सके और इसलिए शीर्ष के अंतर्गत उपयोग कम था।"

3.17 वर्ष 2021-22 के दौरान, सं.अ. चरण की तुलना में ब.अ. चरण में कम आवंटन के कारणों के बारे में मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"कोविड-19 के दौरान, एलएचपी/डीएचपी परियोजनाओं ने अपेक्षित प्रगति हासिल नहीं की इसलिए आवंटन को घटा दिया गया और बचत को उपयोगिता के लिए अन्य शीर्षों में पुर्नविनियोजित किया गया।"

(ख) लघु शीर्ष: 02.789 (अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना)

उप शीर्ष: 06 (पीएमएवाई (यू))

06.01 (बिना विधानमंडल के संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता)

विस्तृत शीर्ष: 06.01.35 (पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान)

3.18 मंत्रालय द्वारा अपने लिखित उत्तर में प्रस्तुत इस शीर्ष का उद्देश्य इस प्रकार है:

" इस शीर्ष के अंतर्गत पीएमएवाई-यू के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को केंद्रीय सहायता जारी की जाती है।"

3.19 मंत्रालय द्वारा इस शीर्ष के अंतर्गत शुरू की जा रही परियोजनाओं/कार्यक्रमों का संक्षिप्त अवलोकन निम्नवत है:

"बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों में, 4,673 आवासों के निर्माण के लिए 18 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। 70.09 करोड़ रुपये की स्वीकृत केंद्रीय सहायता में से अब तक कुल 36.40 करोड़

रुपये जारी किए जा चुके हैं। स्वीकृत आवासों में से 4137 आवास निर्माणाधीन हैं और 861आवास पूर्ण हो चुके हैं और लाभार्थियों को सुपुर्द कर दिए गए हैं।"

3.20 पिछले चार वित्तीय वर्षों के लिए ब.अ., सं.अ. और वास्तविक आंकड़े इस प्रकार है: -

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वास्तविक आंकड़े**
2017-18	**-**	**-**	**-**
2018-19	**1.50**	**1.50**	**0.02**
2019-20	**1.00**	**1.00**	**0.54**
2020-21	**2.00**	**2.00**	**0.00**
2021-22	**1.00**	**1.00**	**0.00***
2022-23	**2.00**		

*** 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार**

3.21 यह नोट किया गया कि 2018-19 से 2020-21 के वित्तीय वर्षों के दौरान, संबंधित सं.अ. की तुलना में भी शीर्ष के अंतर्गत आवंटित धन का कम उपयोग या "शून्य" उपयोग हुआ है। इस शीर्ष के अंतर्गत निधियों के ऐसे कम उपयोग/शून्य उपयोग के कारणों के बारे में बताते हुए मंतालय ने निम्नवत उत्तर दिया: "पीएमएवाई-यू के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में केंद्रीय सहायता राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त अनुपालना के आधार पर 40:40:20 की किश्तों में जारी की जाती है। वित्त वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान निधियों का कम उपयोग, कम संख्या में परियोजनाओं के लिए अपेक्षित अनुपालना पूरा करने और स्वीकृत परियोजनाओं में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की कम संख्या के कारण है।"

(ग) <u>स्मार्ट शहर मिशन(एससीएम)</u>

(i) एससीएम के अंतर्गत वर्षवार आवंटन और जारी राशि

3.22 एससीएम के अंतर्गत 31.12.2021 को बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों और वास्तविक व्यय/जारी राशि पर आंकड़े इस प्रकार हैं:

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	**ब.अ**	**सं अ**	**वास्तविक**

2017-18	**4000.00**	**4540.00**	**4535.73**
2018-19	**6169.00**	**6169.00**	**5935.59**
2019-20	**6450.00**	**3450.00**	**3355.69**
2020-21	**6450.00**	**3400.00**	**3195.48**
2021-22	**6450.00**	**6600.00**	**5342.00***
2022-23	**6800.00**	**-**	**-**

***31.12.2021 की स्थिति के अनुसार**

(ii) मुख्य शीर्ष: 3601 (विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान)
लघु शीर्ष: 06.101 (केंद्रीय सहायता/अंश)
उप शीर्ष: 23 (100 स्मार्ट शहरों के लिए मिशन)
23.01 (स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए एएफडी द्वारा वित्त पोषित योजना)
विस्तृत शीर्ष: 23.01.35 (पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए अनुदान)

3.23 मंत्रालय द्वारा अपने लिखित उत्तर में प्रस्तुत किए गए इस शीर्ष का प्रयोजन इस प्रकार है: " स्थायी शहरी अवसंरचना के निर्माण के लिए वर्ष 2018 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के नवाचार, एकीकृत और स्थिरीकरण के लिए सिटी निवेश के अंतर्गत 11 स्मार्ट सिटी एसपीवी (अर्थात् अगरतला, अमृतसर, अमरावती, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, हुबली धारवाड़, कोच्चि, सूरत, विशाखापत्तनम, उज्जैन) को वित्तीय सहायता देने के लिए शीर्ष बनाए गए थे।"

3.24 पिछले चार वित्तीय वर्षों के ब.अ., सं.अ. और वास्तविक के आंकड़े इस प्रकार है: -

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वास्तविक आंकड़े**
2017-18	**कोई शीर्ष नहीं**		
2018-19	**-**	**30.01**	**-**
2019-20	**370.00**	**140.00**	**72.00**
2020-21	**268.00**	**6.04**	**0.00**
2021-22	**288.00**	**132.52**	**शून्य***
2022-23	**288.00**		

***31.12.2021 की स्थिति के अनुसार**

3.25 (i) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, इस शीर्ष के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय; और, (ii) डीडीजी 2020-21 में इस शीर्ष के अंतर्गत किए गए वास्तविक व्यय पर आकडें उल्लेख न करने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया:

" सीआईटीआईआईएस कार्यक्रम जुलाई 2018 में शुरू किया गया था, जिसमें 100 स्मार्ट शहरों से एक चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से 12 परियोजनाओं का चयन किया गया था। नवंबर, 2019 के अंत तक 36 एसपीवी से 67 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। जनवरी, 2020 में प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद जूरी साक्षात्कार आयोजित किए गए थे और मार्च, 2020 में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

कार्यक्रम रूपरेखा के अनुसार, सीआईटीआईआईएस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित प्रत्येक एसपीवी को 10% अनुदान घटक की पहली किस्त प्राप्त करने के लिए कुछ अनुपालन दस्तावेज जमा करने थे। एसपीवी अनुपालन दस्तावेज जमा करने में सक्षम नहीं थे और इसलिए अनुदान प्राप्त करने के पात्र नहीं थे। इसलिए, एसपीवी को पहला संवितरण वित्त वर्ष 2019-20 में ही शुरू हो सका। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2018-19 में वास्तविक व्यय शून्य था।"

3.26 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, सं.अ. स्तर में ब.अ. 60% से अधिक कम हो गया था और वास्तविक उपयोग कम किये गए सं.अ. का 50% (लगभग) था। इसके कारणों के बारे में बताते हुए मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया:

" मार्च, 2019 में परियोजनाओं के चयन और चयनित एसपीवी के साथ त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने के बाद; सभी चयनित एसपीवी को एक समर्पित परिपक्वता चरण से गुजरना आवश्यक था। परिपक्वता चरण एक 24-चरणीय प्रक्रिया थी, जिसे परियोजना विकास के लिए भारत में पहली बार डिजाइन और पेश किया गया था। प्रत्येक एसपीवी को एक समर्पित अंतरराष्ट्रीय सलाहकार और एक घरेलू विशेषज्ञ से तकनीकी सहायता के माध्यम से परियोजना की आधारभूत रिपोर्ट विकसित करने, व्यवहार्यता अध्ययन करने, पर्यावरण और सामाजिक स्क्रीनिंग, पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करने, पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना विकसित करने, हितधारक मेपिंग और अन्य गतिविधियों के बीच हितधारक सामंजस्य योजना विकसित करने की आवश्यकता थी। इस अनूठी कवायद का उद्देश्य चयनित परियोजनाओं को मजबूत और परिष्कृत करना तथा कार्यान्वयन चरण के दौरान सामने आने वाली किसी भी बाहरी कमी को दूर करना था।

परिपक्वता चरण एक रूपरेखा चरण है जहां अध्ययन, वेतन, कार्यशाला आदि आयोजित करने पर अधिकांश व्यय होता है। प्रारंभ में, परिपक्वता चरण 6 महीने से 1 वर्ष के बीच पूरा होने की उम्मीद थी और बजट अनुमान तैयार करते समय यह माना गया था कि एसपीवी अपना परिपक्वता चरण

पूरा करेंगे और पहली (अनुदान का 10%) और दूसरी किस्त (अनुदान का 40%) दोनों का दावा करने में सक्षम होंगे। हालांकि, क्षमता की कमी, लंबित अनुपालन और परिवर्तन के प्रतिरोध के कारण; प्रक्रिया को बढ़ाया गया।

चूंकि परिपक्वता चरण में ब.अ., सं.अ. और वास्तविक व्यय में भिन्नता थी। त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार चयनित शहर अपने परिपक्वता चरण के सत्यापन के बाद ही अपनी परियोजनाओं की निविदा दे सकते थे।"

3.27 यह नोट किया गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान सं.अ. का केवल 50% खर्च करने के बावजूद ब.अ. स्तर पर 268 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, हालांकि, इसे घटाकर सं.अ. में 6.04 करोड़ रुपये तक कम कर दिया गया था और इस राशि में से 2020-21 के दौरान कुछ भी खर्च नहीं किया जा सका। इसके कारणों के बारे में मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"वर्ष 2019-20 में पहली किश्त कुल 72 करोड़ रू. की है, जो 11 एसपीवी को जारी की गई थी। दूसरी किस्त (अनुदान घटक का 40%) का दावा करने के लिए, एसपीवी को परिपक्वता चरण पूरा करना था और पहली किस्त का 80% उपयोग करने पर उपयोग प्रमाण पत्र जमा करना था।

जबकि परिपक्वता चरण ने परियोजना घटकों की गुणवत्ता में काफी सुधार किया है और एसपीवी की क्षमता का निर्माण किया है, एसपीवी द्वारा कर्मचारियों के ऑन-बोर्डिंग और सलाहकारों को तैनात करने में देरी के कारण शुरू में देरी हुई थी; और बाद में कोविड की स्थिति के कारण देरी हुई थी। अधिकांश एसपीवी में, लगभग आधे वर्ष के लिए, परियोजना कर्मचारियों को कोविड ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त किया गया था, जिसने परिपक्वता चरण की गति को प्रभावित किया। हालांकि, परिपक्वता चरण को पूरा करने के लिए एसपीवी को मार्च, 2021 की समय सीमा दी गई थी। अधिकांश एसपीवी मार्च, 2021 से जून, 2021 के बीच अपनी परिपक्वता पूरी करने में सक्षम थे और इसके बाद कार्यान्वयन चरण शुरू किया गया था।

उपर्युक्त वर्णित कारणों से कोई भी एसपीवी पहली किस्त की उपयोगिता का 80% तक प्राप्त करने में और परिवक्वता चरण पूरा करने करने में सक्षम नहीं था, इसलिए वास्तविक व्यय शून्य रहा।"

3.28 वर्ष 2021-22 में 288 करोड़ रुपये के ब.अ. को घटाकर 132 करोड़ रुपये तक कम करने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर प्रस्तुत किया:

"त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार, एसपीवी पहली किस्त के 80% के उपयोग और परिपक्वता चरण के पूरा होने पर स्वीकृत अनुदान राशि का 40% अर्थात दूसरी किस्त अर्थात के संवितरण के लिए अनुरोध कर सकते हैं। जैसा कि अनुमान है कि वित्त वर्ष 2021-22 में केवल चार एसपीवी ने 80% तक उपयोग किया है। 288 करोड़ रू. के ब.अ. को घटाकर 132 करोड़ रू. कर दिया गया है।"

3.29 वर्ष 2021-22 में 31 दिसंबर, 2021 तक आवंटित धनराशि के वास्तविक उपयोग संबंधी स्थिति के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर प्रस्तुत किया:

"चूंकि एसपीवी पहली किस्त के 80% का उपयोग करने और अन्य अनुपालनों को पूरा करने में सक्षम नहीं थे, वित्त वर्ष 2021-22 में 31 दिसंबर, 2021 तक एसपीवी को कोई धनराशि वितरित नहीं की गई थी। हालांकि, यह उम्मीद की जाती है कि 31 मार्च, 2022 से पहले 3-4 शहर दूसरी किस्त का दावा करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जा सकता है कि सभी 11 एसपीवी में निविदा प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसलिए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान उपयोग की दर त्वरित होगी।"

(घ) <u>स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू)</u>

(i) एसबीएम(यू) के अंतर्गत वर्षवार आवंटन और जारी राशि:

3.30 2016-17 से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ब.अ., सं.अ. और वास्तविक व्यय इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक आकडें	टिप्पणियां
2016-17	2300.00	2300.02	2135.21	सं.अ. की तुलना में 165 करोड़ रुपये की कमी
2017-18	2300.00	2550.00	2538.80	सं.अ. की तुलना में 11 करोड़ रुपये की कमी
2018-19	2500.00	3000.00	2461.61	सं.अ. की तुलना में 539 करोड़ की कमी
2019-20	2650.00	1300.00	1298.37	लगभग 100% उपयोग
2020-21	2300.00	1010.05	1000.22	केवल 10 करोड़ रुपये की कमी।
2021-22	2300.00	2000.00	747.00*	फरवरी तक 1253 करोड़ रुपये की कमी
2022-23	2300.00			

*07.02.22 की स्थिति के अनुसार

3.31 (i) 07.02.2022 तक सं.अ. चरण में आवंटित धन का केवल 37% खर्च करने के कारणों और (ii) क्या मंत्रालय अगले दो महीनों (लगभग) में सं.अ. का शेष 63% खर्च करने के लिए आश्वस्त

है, के सम्बन्ध में प्रश्नों का उत्तर देते हुए, मंत्रालय ने दिनांक 07.03.2022 के एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"आज की तारीख में, धनराशि का 62% खर्च/जारी किया जा चुका है और शेष 38% धनराशि भी 31 मार्च 2022 से पहले खर्च/उपयोग कर ली जाएगी।"

3.32 इसके अलावा, 09.03.2022 को समिति के समक्ष प्रस्तुत होते हुए, मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एसबीएम के अंतर्गत आवंटित शेष राशि के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित बताया:

"सर, हमें पहले ही 700 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मिल चुके हैं। । तो, यह हमें 100 प्रतिशत तक ले जाएगा। उन सभी प्रस्तावों की संवीक्षा की जा रही है। वास्तव में यह प्रस्ताव एसबीएम 2.0 के हैं। इसलिए, शहरों को अपने शहर की ठोस अपशिष्ट कार्य योजना और शहर की स्वच्छता योजना तैयार करनी थी। इसे डिजिटाइज किया जाना था। हम पहले ही 700 करोड़ रुपये प्राप्त कर चुके हैं। यह पूरा हो जाएगा।"

3.33 उपर्युक्त प्रस्तावों की स्थिति पर स्पष्टीकरण देते हुए मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नवत बताया:

"सर, यह संवीक्षाधीन है। यह मंजूरी के लिए एनएआरसी के पास जाएगा और फिर इसे किया जाएगा।"

3.34 सचिव, एमओएचयूए ने एसबीएम के अंतर्गत आवंटित अप्रयुक्त निधियों पर आगे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए कहा:

> **"सर, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था। उसके बाद हमने एक नई रूप-रेखा में, डिजिटल फॉर्म में स्टेट्स से प्रपोजल्स मांगे थे। स्टेट्स ने वे प्रपोजल्स बनाने शुरू किए और अब वे प्रपोजल्स हमें मिल गए हैं। यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें हमने स्टेट्स को उनकी रिक्वेस्ट की बेसेस पर उनके प्रपोजल, प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने के लिए इस वीक में कमेटी की मीटिंग शेड्यूल की है। उसे अप्रूव करके यह पैसा हमें स्टेट्स को ट्रांसफर करना है। चूंकि, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 1 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था, अप्रैलमेंनहींथा, इसलिए फॉलोड टाइम में स्टेट्स को प्रपोजल्स बनाने में टाइम लगा। यह पैसा हम अगले 15 दिनों में स्टेट्स को उनके प्रोजेक्ट्स अप्रूव करके उनको ट्रांसफर कर देंगे।"**

3.35 समिति ने जानना चाहा था कि क्या (i) प्राप्त उपरोक्त प्रस्ताव एसबीएम 1.0 या 2.0 के लिए हैं; और, (ii) 2021-22 के लिए एसबीएम के अंतर्गत आवंटित धनराशि एसबीएम 1.0 या 2.0 के अंतर्गत प्रस्तावों के लिए थी, जिसके लिए एमओएचयूए के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया:

> **"महोदय, यह बजट फेज-1 और 2.0 के प्रपोजल्स, दोनों के लिए है। वर्ष 2021-22 फेज की हमारी जो कमिटेड लॉयबिलिटीज हैं, उनके लिए हम करीब 786 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। एक्सपेक्टेड कमिटेड लॉयबिलिटीज के लिए राज्यों को और सौ करोड़ रुपये चाहिए होंगें। जो 473 करोड़ रुपये का एक्सपेंडिचर हो गया है, वह 2.0 नए प्रस्तावों के लिए है। हमारे पास अभी जो 700 करोड़ रुपये के प्रस्ताव हैं, उसमें से 100 करोड़ रुपये पुराने फेज-1 के प्रस्ताव हैं और 2.0 के प्रस्ताव 600 करोड़ रुपये के हैं।"**

(ii) मुख्य शीर्ष: 3601 (राज्य सरकारों को सहायता अनुदान)

लघु शीर्ष: 06.101 (केंद्रीय सहायता/अंश)

उप शीर्ष: 22 (एसबीएम)

22.02 (एसबीएम के लिए क्षमता निर्माण)

विस्तृत शीर्ष: 22.02.31 (सामान्य सहायता अनुदान)

3.36 मंत्रालय द्वारा यथा उल्लिखित इस शीर्ष का उद्देश्य जैसा कि मंत्रालय नपे अपने लिखित उत्तर में बताया निम्नवत है:

" शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में विभिन्न स्तरों पर प्रमुख पेशेवरों की नियुक्ति के लिए स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन मूल्य श्रृंखला में और प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने की दिशा में प्रमुख हितधारकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से एसबीएम-यू के संबंध में संबंधित राज्यों द्वारा क्षमता निर्माण, प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (सीबी एंड ए एंड ओई) संबंधी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए राज्यों को इस शीर्ष के अंतर्गत निधियां जारी की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस शीर्ष के माध्यम से अलग से निधियां दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित 10% आवंटन विशेष रूप से केवल ऐसे राज्यों के लिए उपयोग किया जाए। "

3.37 पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए बीई, आरई और वास्तविक आकड़ें इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बीई	आरई	वास्तविक आकडें
2017-18	414.16	98.70	99.03
2018-19	25.94	25.94	25.94

2019-20	150.00	10.00	10.00
2020-21	150.00	28.58	28.58
2021-22	150.00	100.00	8.93*
2022-23	150.00		

*दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार

3.38 वर्ष 2019-20 से आवंटन और उपयोग की प्रवृत्ति से पता चलता है कि वास्तविक उपयोग कम होने के बावजूद, बाद के वर्षों में केवल आरई स्तर पर कम करने के लिए बीई स्तर पर अधिक राशि आवंटित की गई थी। इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या संसाधनों का ऐसा आवंटन वांछनीय है, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

" योजना के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सभी तरह की औपचारिक मांग को पूर्ण करने पर केंद्रीय अंश की सहायता जारी की जाती है। इस प्रकार, इसके अंतर्गत की गई कोई भी जारी की गई, मांग आधारित होती है, जो मंत्रालय द्वारा विधिवत पूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति के अधीन होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान सीबी एंड ए और घटक के अंतर्गत दूसरी किस्त के रूप में निधियां जारी करने के लिए विभिन्न राज्यों से बहुत से प्रस्ताव देय थे, बीई स्तर पर 150 करोड़ रू. का प्रावधान रखा गया था लेकिन कोविड -19 महामारी के कारण, राज्यों से पर्याप्त मांग प्राप्त नहीं हुई थी और इसलिए, बाद में आरई स्तर पर प्रावधान कम कर दिया गया था और जिसका पूरी तरह से उपयोग किया गया।"

3.39 वर्ष 2021-22 में दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक निधियों के वास्तविक उपयोग के संबंध में मंत्रालय ने अपने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

" इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान एसबीएम-यू मिशन का अंतिम वर्ष होने के कारण सीबी एंड ए एंड ओई घटक के अंतर्गत दूसरी किस्त के रूप में निधियां जारी करने के लिए विभिन्न राज्यों से कई प्रस्ताव देय थे, 150 करोड़ रू. का प्रावधान बीई स्तर पर रखा गया था, लेकिन लंबे समय तक कोविड -19 महामारी के कारण, राज्यों से पर्याप्त मांग प्राप्त नहीं हुई थी और इसलिए, बाद में आरई चरण में प्रावधान को घटाकर 100 करोड़ रू. कर दिया गया था। हालांकि, महामारी के कारण किसी भी वैध मांग के अभाव में, केवल 8.93 करोड़ रू. की राशि ही जारी की जा सकी।"

(iii) मुख्य शीर्षः 2217 (शहरी विकास)

लघु शीर्ष: 05.001 (निर्देश और प्रशासन)

उप शीर्ष: 02 (एसबीएम (यू))

02.02 (एसबीएम के लिए आईईसी)

विस्तृत शीर्ष: 02.02.26 (विज्ञापन और प्रचार)

3.40 इस शीर्ष का उद्देश्य जैसाकि मंत्रालय द्वारा अपने लिखित उत्तर में बताया गया है, निम्नवत है:

"... मिशन के विज्ञापन और प्रचार के लिए है। विज्ञापन और जन प्रचार अभियान प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया (डीएवीपी के माध्यम से) और सोशल मीडिया (अनुबंधित एजेंसी के माध्यम से) में किए जाते हैं। मिशन ने अखिल भारतीय रेडियो के माध्यम से एक साल लम्बा प्रचार अभियान 'स्वच्छता सेल्फी' भी चलाया। इसके अलावा, प्रचार के लिए एनएफडीसी के माध्यम से ऑडियो-वीडियो क्लिप भी तैयार किए जाते हैं। इन सभी खर्चों का भुगतान इसी शीर्ष से किया जाता है।"

3.41 पिछले चार वित्तीय वर्षों के लिए बीई, आरई और वास्तविक आंकड़े इस प्रकार हैं: -

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बीई	आरई	वास्तविक आंकड़े
2017-18	448.60	198.60	136.54
2018-19	100.00	100.00	44.49
2019-20	100.00	75.00	51.09
2020-21	100.00	0.46	1.23
2021-22	100.00	2.00	0.96*
2022-23	100.00		

*दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार

3.42 2017-18 से 2019-20 तक के आवंटन और व्यय की प्रवृत्ति से पता चलता है कि 'वास्तविक आकडे.' आरई चरण में किए गए आवंटन से भी काफी कम थे और पिछले वर्षों में निधियों के बहुत कम उपयोग के बावजूद, बाद के वर्षों के बजट अनुमानों में उच्च राशि का आवंटन किया गया। 2017-18, 2018-19 और 2019-20 (वर्षवार) के दौरान कम उपयोग का कारण बताते हुए मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

" बीई स्तर पर प्रावधान विभिन्न मीडिया अभियानों के लिए व्यय की प्रत्याशा में किए गए थे, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि सही मायने में मिशन के एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इन वर्ष के दौरान अभियान अर्थात जन जागरूकता पैदा करना और मिशन को 'जन आंदोलन' बनाना है। हालांकि, पीएमओ के विज्ञापन-अनुमोदन प्रकोष्ठ द्वारा अनुमोदन न दिए जाने सहित विभिन्न कारणों से खर्च वहन नहीं किया जा सका। कोविड-19 महामारी ने देश भर में लॉकडाउन के कारण इस शीर्ष के अंतर्गत खर्च को और भी कम कर दिया।

(ङ) <u>दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)</u>

(i) डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत वर्ष वार आबंटन और जारी की गई निधियां:

3.43 पिछले पांच वर्षों के लिए बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों और वास्तविक व्यय और चालू वर्ष के लिए बजट अनुमानों के आंकड़े निम्नानुसार हैं

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2017-18	349.00	599.00	598.66
2018-19	310.00	510.00	498.15
2019-20	750.00	750.00	732.06
2020-21	795.00	795.00	818.43
2021-22	795.00	795.00	522.00*
2022-23	900.00	-	-

*दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार

(ii) मुख्य शीर्ष 3475 (अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (प्रमुख))

लघु शीर्ष: 00.108 (शहरी उन्मुख रोजगार सेवाएं)

उप शीर्ष: 05 (एनयूएलएम)

05.02 (विशेष और नवाचारी परियोजनाएं)

विस्तृत शीर्ष: 05.02.31 (सामान्य सहायता अनुदान)

3.44 इस शीर्ष का उद्देश्य जैसाकि मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया, निम्नवत है:

" इस शीर्ष का उपयोग गैर-एनईआर राज्यों को मिशन के नवाचार और विशेष परियोजनाओं (आई एंड एसपी) घटक के कार्यान्वयन के लिए सहायता अनुदान जारी करने के लिए किया जाता है।."

3.45 पिछले चार वित्तीय वर्षों के बीई, आरई और वास्तविक आकड़ें इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	**बीई**	**आरई**	**वास्तविक आकडें**
2017-18	**0.99**	**0.32**	**0.32**
2018-19	**0.99**	**0.99**	**-**
2019-20	**4.99**	**4.99**	**0.00**
2020-21	**0.99**	**0.99**	**0.00**
2021-22	**0.99**	**46.49**	
2022-23	**46.50**		

***दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार**

3.46 (i) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत किए गए वास्तविक व्यय; और, (ii) डीडीजी 2020-21 में वास्तविक व्यय पर आकड़ें प्रस्तुत न करने के कारण पूछे जाने के संबंध में मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया:

"(i) और (ii) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया।

3.47 इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में कोई व्यय न करने के कारण उपलब्ध कराते हुए मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया:

" आई एंड एसपी के अंतर्गत राज्यों से उपयुक्त प्रस्तावों की कमी के कारण, उपलब्ध बजट का उपयोग अनुमोदित कार्य योजनाओं और पिछली देनदारियों पर किया गया था।."

3.48 आगे, वर्ष 2021-22 में बीई की तुलना में आरई स्तर में आवंटन में भारी उछाल के कारणों का उल्लेख करते हुए, एमओएचयूए ने निम्नवत उत्तर दिया:

" अभिनव और विशेष परियोजनाओं (आई एंड एसपी) घटक के अंतर्गत 93 करोड़ रू. (लगभग) की अनुमानित लागत सहित निर्माण क्षेत्र में 1.06 लाख उम्मीदवारों के कौशल प्रशिक्षण के लिए नई आई एंड एसपी परियोजना के संबंध में एनएसडीसी (राष्ट्रीय कौशल विकास निगम) को 46.50 करोड़ रू. का भुगतान करने के लिए वर्ष 2021-22 में इस शीर्ष के अंतर्गत आवंटन बढ़ाया गया है।**"**

(च) लेखन सामग्री और मुद्रण

(i) मुख्य शीर्ष 4058 (लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजी परिव्यय (मुख्य)
लघु शीर्ष: 00.103 (सरकारी मुद्रणालय)
उप शीर्ष: 02 (प्रिंटिंग प्रेस)
विस्तृत शीर्ष: 02.00.52 (मशीनरी और उपकरण)

3.49 इस शीर्ष का प्रयोजन जैसा कि मंत्रालय द्वारा अपने लिखित उत्तर में प्रस्तुत किया गया, प्रेस के लिए मशीनरी और उपकरण की खरीद करना है।

3.50 पिछले पांच वित्तीय वर्षों के बीई, आरई और वास्तविक आंकड़े इस प्रकार है: -

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बीई	आरई	वास्तविक आंकड़े
2017-18	0.50	0.50	0.33
2018-19	0.50	0.50	-
2019-20	36.16	0.01	0.00
2020-21	90.00	7.00	0.00
2021-22	85.00	65.00	0.0019*
2022-23	75.00		

***दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार**

3.51 जैसा कि मंत्रालय ने बताया वर्ष 2017-18 के दौरान आरई स्तर पर किए गए आवंटन का केवल 66% उपयोग करने के कारण निम्नवत हैं:

"वर्ष 2017-18 के दौरान खरीदी गई मशीनरी की लागत मशीनरी की अनुमानित लागत से कम थी।"

3.52 मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत किए गए वास्तविक व्यय को' शून्य' बताया है।

3.53 इन दो वर्षों के दौरान तेजी से कम किए गए संशोधित अनुमानों (आरई) की तुलना में भी 2019-20 और 2020-21 में किए गए भारी आवंटन के बावजूद कोई राशि खर्च नहीं जाने के कारणों का ब्यौरा देते हुए मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"भारतीय प्रेस, मिंटो रोड, नई दिल्ली भारत सरकार के आधुनिकीकरण के अंतर्गत मशीनरी की खरीद के लिए राशि प्रस्तावित की गई थी, लेकिन प्रेस के भवन के निर्माण के पूरा होने में देरी और कोविड़-19 की स्थिति के कारण भी व्यय नहीं किया जा सका। इसके अलावा, मशीनरी की खरीद के लिए मंगाई गई निविदा भागीदारी की कमी के कारण रद्द कर दी गई। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए से कम की वैश्विक निविदा आमंत्रित करने पर प्रतिबंध लगाए गए थे, परिणामस्वरूप, मशीनरी की खरीद के प्रस्ताव को अमल में नहीं लाया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप पूरी राशि अनप्रयुक्त रह गई। इन अनप्रयुक्त राशियों को आरई चरण में समय पर अभ्यर्पित किया गया था।"

3.54 पहले के वर्षों (2019-20 और 2020-21) में तेजी से कम किए गए आरई की तुलना में "शून्य" खर्च के बावजूद, इस उद्देश्य के लिए बाद के वर्षों (2020-21 और 2021-22) में कहीं अधिक आवंटन की मांग किए जाने के कारण पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया:

"हर बार इस मद में भारतीय प्रेस, मिंटो रोड के लिए मशीनरी की खरीद के लिए धनराशि का प्रस्ताव किया गया है। लेकिन उपरोक्त कारणों से खरीद प्रक्रिया को अमल में नहीं लाया जा सका। इसलिए, बाद के वर्षों में इसे खरीदने का प्रावधान किया गया है।"

3.55 मंत्रालय द्वारा दिनांक 31 दिसंबर, 2021 तक 2021-22 में आवंटित धनराशि का वास्तविक उपयोग के संबंध में निम्नवत बताया गया:

"दिसंबर **2021** तक **1.94** लाख रुपये की राशि का उपयोग किया गया है और मार्च **2022** तक **9.50** करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किए जाने की उम्मीद है।"

3.56 एमओएचयूए के सचिव ने दिनांक 09.03.2022 को समिति के समक्ष उपस्थित होते हुए भारत सरकार प्रेस मिंटो रोड के नवीकरण के संबंध में अद्यतन स्थिति से निम्नानुसार परिचित करवाया:

"सर, यह मिंटो रोड का है।मिंटो रोड की बिल्डिंग रेनोवेशन में थी और अब वह कंप्लीट हो गई है।एनबीसीसी को कहा गया है कि इसमें काफी इम्पोर्टेड मशीन्स हैं, उनको प्रोक्योर करें, क्योंकि उसमें ग्लोबल टेन्डर्स को फ्लोट करना पड़ेगा।वहां बाहर की मशीनें हैं। वहां एडवांस मशीनें हैं, ताकि हम कम्प्यूटर बेस्ड प्रिंटिंग, बाइंडिंग सब एक साथ ढंग से कर सकें। अभी हमारी जो प्रिंटिंग एवं बाइंडिंग मशीनें हैं, वह हाथ से करनी पड़ती है।"

(छ) विभिन्न योजनाओं हेतु जवाबदेही तंत्र

(i) उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी)

3.57 उपयोग प्रमाणपत्र के संबंध में सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) की धारा 151(1) में निम्नवत कहा गया है:

"प्राप्त अनुदानों के वास्तविक उपयोग का प्रमाणपत्र, जिसके लिए यह प्राप्त किया गया था, विशेषरूप से गैर-आवर्ती अनुदानों के संबंध में इस पर बल दिया जाएगा और संबंधित संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा निगरानी रखी जाएगी। जहां इस तरह का प्रमाण पत्र निर्धारित समय के भीतर अनुदान प्राप्तकर्ता से प्राप्त नहीं होता है, विभाग को स्वतंत्रता होगी और उसे ऐसे संस्थान को भविष्य में सरकार से किसी भी प्रकार के अनुदान, राजसहायता या अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु ऐसी संस्था को काली सूची में डालने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।"

3.58 एमओएचयूए में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवंटित निधियों के उपयोग और उपयोग प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में, एमओएचयूए के प्रतिनिधि ने दिनांक 09.03.2022 को समिति के समक्ष उपस्थित होते हुए, निम्नानुसार सूचित किया

".....यह तो वह पैसा हुआ, जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्रांसफर करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वह पैसा कितना यूटिलाइज होता है, उसके लिए हम लोग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स मंगाते हैं। यह अंतिम उपयोग है। इसे हमारा मंत्रालय काफी मिशन मोड में फॉलो अप करता है। आप देखेंगे कि बजट तो बहुत इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो पेंडिंग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स हैं, उनमें काफी प्रगति हुई है। अभी हमारे पास 6,000 करोड़ हैं, वह भी घटकर 5,400 करोड़ के आसपास हो गया है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम जो पैसा रिलीज करें, वह अंत में यूएलबी लेवल पर जाकर खर्च भी हो।"

(ii) तीसरे पक्ष द्वारा निगरानी

3.59 दिनांक 09.03.2022 को समिति के समक्ष उपस्थित होने के दौरान, सचिव, एमओएचयूए ने एमओएचयूए की विभिन्न योजनाओं की तीसरे पक्ष से संवीक्षा करवाने के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुत किया:

"सर, मैं इस बारे में एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हमारी ज्यादा तर स्कीम्स में क्वालिटी के इश्युज़ को देखने के लिए हमने थर्ड पार्टी टीम्स और मॉनीटर्स बना रखे हैं। चाहे वह स्वच्छ भारत में हो, अमृत में हो, पीएम आवास योजना में हो, बेनिफिशयरी लैड को छोड़ दीजिए। सभी स्कीम्स में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का प्रावधानहै। पहले ट्रेंड यह था कि हम थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट से नियुक्त करवाते थे । पीएम आवास योजना में भी स्टेट गवर्नमेंट की नियुक्त की हुई एजेंसी है । जो प्राइवेट मॉनीटर्स हैं, उनसे इंस्पेक्शन करवाया जाता है, उनसे इंस्पेक्शन रिपोर्ट ली जाती है । अब हमारा ट्रेंड यह बन रहा है कि थर्ड पार्टी एजेंसी हम नियुक्त कर रहे हैं । हमें लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो नियुक्त करती है, उससे ज्यादा अच्छी मॉनीटरिंग हमारी नियुक्त की हुई एजेंसी की होगी तो सभी स्कीम्स में हम थर्ड पार्टी एजेंसीज के द्वारा मॉनीटरिंग करवा रहे हैं ।..... हमारे ऑफिसर्स जाकर इंस्पेक्ट भी करते हैं । सारे प्रोजेक्ट्स इंस्पेक्ट कर पाना सम्भव नहीं है, क्योंकि इतने ऑफिसर्स हमारे पास नहीं हैं । इसीलिए यह थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का सिस्टम किया गया है।"

(ज) म्यूनिसिपल बांड

3.60 म्यूनिसिपल बांड के माध्यम से धन जुटाने के लिए विभिन्न नगर निगम निकायों की क्षमता और ऐसा करने में उनकी सहायता के लिए एमओएचयूए द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताते हुए, एमओएचयूए के प्रतिनिधियों ने दिनांक 09.03.2022 को समिति के समक्ष उपस्थित होने के दौरान निम्नानुसार बताया:

"म्युनिसिपल्स बांड में दस शहरों ने मार्केट से पैसा उठाया है, क्रेडिट रेटिंग करवाई तो थोड़ी-बहुत सक्सेस मिली है। हम 50 शहरों को टार्गेट कर रहे हैं। पिछले साल गाजियाबाद और लखनऊ ने किया है, अब बड़ौदा करेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि आगरा भी नगर निगम बांड के बारे में सोच रहा है। यह करना चाहिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। हम जो दे पार हे हैं और जो स्टेट देर ही है, पैसे की कमी है,....हम उनकी मदद करते हैं, उनका फाइनेंशियल सिस्टम ठीक करके मार्केट तक जाने के लिए कंसलटेंसी एपाइंट करके हैल्प करते हैं, लेकिन प्रोएक्टिवनेस होनी चाहिए।"

3.61 सचिव, एमओएचयूए में म्यूनिसिपल बांड से धन जुटाने में बाधाओं का उल्लेख करते हुए निम्नानुसार बताया:

> **"आपकी बात बिल्कुल सही है, इसके लिए सभी शहरों की क्रेडिट रेटिंग करा रहे हैं। मार्केट से पैसा उठाने के लिए बांड से, क्रेडिट वर्थीनेस भी होनी चाहिए। अगर टैक्सरेवेन्यु कलैक्ट नहीं करते हैं तो कोई बांड नहीं खरीदेगा। जो शहर गए हैं, वही शहर हैं जो अच्छे से प्रापर्टी और दूसरे टैक्स कलैक्ट करते हैं। जो अच्छे से कलैक्ट कर रहे हैं, उनकी क्रेडिट रेटिंग कराकर, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाकर, एकाउंट्स अपडेट करा कर, हमारा एफर्ट है। लेकिन जो शहर राज्य और केंद्र सरकार की सहायता से चल रहे हैं और अपना रेवेन्यु नहीं कलैक्ट नहीं कर रहे हैं, पहले उनको रेवेन्यु कलैक्शन बढ़ाना पड़ेगा।"**

3.62 आयुक्त, दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने दिनांक 09.03.2022 को समिति के समक्ष उपस्थित होने के दौरान एसडीएमसी द्वारा म्यूनिसिपल बांड जुटाने की स्थिति के बारे में निम्नवत बताया:

> **"क्रेडिट रेटिंग करवाकर म्युनिसिपल बांड रिसीव करने का काफी प्रयास किया था । लेकिन हमें सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन नहीं मिल सका। इसलिए, हम ऐसा नहीं कर सके"। "**

3.63 नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) द्वारा 'म्यूनिसिपल बॉन्ड' की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, एनडीएमसी के आयुक्त ने समिति को निम्नलिखित बताया:

> **"एनडीएमसी की क्रेडिट रेटिंग डबल ए प्लस है। हमारी साख अच्छी है और हम बांड की उगाही कर सकते हैं। हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास सरप्लस कैश ऑलरेडी है, इसलिए हम म्युनिसिपल बांड्स रेज़ नहीं करते हैं।"**

3.64 सचिव, एमओएचयूए ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) को धन की कमी के कारण अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने में अक्षम होने के पीछे नगरपालिका बांड जुटाने में असमर्थता को उत्तरदायी ठहराते हुए, निम्नानुसार बताया:

"सर, क्रेडिट रेटिंग और बांड के बारे में, जैसा मैंने कहा कि यदि खुदका कुछ रेवेन्यू कलेक्शन होगा, तभी कोई लोन देगा। नार्थ एमसीडी का बांड कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा। जैसा आपने बताया कि दिल्ली देश का सबसे प्रोस्पेरस एरिया है, तो उसके मुकाबले रेवेन्यू कलेक्शन काफी कम है। रेवेन्यू कलेक्शन प्रोपर्टी

टैक्स और दूसरे हेड्स में बढ़ने के बहुत स्कोप हैं। अगर एफर्ट किया जाए, तो इसको बढ़ाया जा सकता है।"

*****

भाग – दो

सिफारिशें/टिप्पणियाँ

सिफारिश संख्या 1

मिशन/योजना अवधि के माध्यम से एकसमान आबंटन और निधियों के उपयोग की आवश्यकता

समिति यह नोट कर प्रसन्न है कि संशोधित अनुमानों की तुलना में आबंटित संसाधनों का मंत्रालय द्वारा उपयोग 2016-17 की तुलना में 94% अधिक है। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में, 07.02.22 तक उपयोग 67.07% था और मंत्रालय द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार समिति को उम्मीद है कि इस वर्ष में भी उपयोग का स्तर पहले के वर्षों के प्रदर्शन के अनुरूप होगा। समिति ने इस प्रकार के उच्च स्तर के उपयोग की सराहना करते हुए यह विचार व्यक्त किया है कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करे ताकि सृजित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार हो।

इसके अलावा, समिति ने नोट किया कि मंत्रालय ने दो वित्तीय वर्षों 2019-20 और 2020-21 में सं.अ. चरण में अपने आवंटन को कम कर दिया था, इस बात की सराहना करती है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में, सं.अ. चरण में लगभग 35% की वृद्धि हुई है। इस तरह के बढ़े हुए आवंटन शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए अच्छे संकेत देते हैं जिनकी आबादी 2011 के 37.71 करोड़ से 2031 तक 60 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है और आगे भारत की आबादी का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बनने की उम्मीद है। समिति आगे, मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों से, नोट करती है कि वर्ष 2021-22 में संशोधित अनुमान (सं.अ.) में 19,269.26 करोड़ रुपये की यह उछाल मुख्य रूप से प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 19,000 करोड़ रुपये, पीएमएसवीएनिधि के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये और केंद्रीय विस्टा परियोजनाओं/नई संसद भवन सहित सीपीडब्ल्यूडी के जीपीआरए/जीओपीओए के लिए 169.26 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए है।

समिति यह स्वीकार करती है कि चूंकि यह पीएमएवाई (यू) का अंतिम वर्ष है, इसलिए योजना के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक निधियों की मांग की गई थी। तथापि, समिति ने मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों से नोट किया कि पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत, उन्हें दिए

गए 28,000 करोड़ रुपये की तुलना में बहुत अधिक है और वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान लगभग 82,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय वर्तमान में केवल 28,000 करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए सहमत हुआ है और आश्वासन दिया है कि शेष निधियों को बाद के वर्षों में धीरे-धीरे आवंटित किया जाएगा। समिति का मत है कि यदि मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को तेजी से कार्य करने और योजना से संबंधित संभारतंत्रीय और तकनीकी मुद्दों को शीघ्रता से सुलझाने के लिए प्रेरित करके आरंभ में और अधिक निधियों की मांग की होती तो ऐसी स्थिति नहीं आती। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को अपने पिछले अनुभवों से सीखने की आवश्यकता है, जिसमें यह प्रवृत्ति रही है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना के अंतिम और समापन वर्षों में अत्यधिक मात्रा में निधियों की मांग की जाए जैसा कि पीएमएवाई (यू) के मामले में देखा गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए कि किसी विशेष योजना में वास्तविक और वित्तीय दोनों लक्ष्यों को योजना के आरंभ वर्ष की शुरुआत से ही पूरा किया जाए और इस प्रकार योजना/मिशन अवधि के दौरान निधियों के आबंटनों को समान रूप से वितरित किया जाए।

शहरी परिवहन और मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम

सिफारिश संख्या 2

शहरी परिवहन योजना और शहरी परिवहन में क्षमता निर्माण- सामान्य सहायता अनुदान

समिति नोट करती है कि यह शीर्ष व्यापक यातायात और परिवहन अध्ययन, व्यापक गतिशीलता योजनाओं (सीएमपी) और एकीकृत भूमि उपयोग के साथ सभी प्रकार के यातायात और परिवहन अध्ययन तैयार करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करने के लिए है। इस स्कीम के अंतर्गत सीएफए के लिए अलग-अलग शहरी परिवहन मेट्रो/एमआरटीएस परियोजनाओं आदि के लिए तकनीकी-व्यवहार्यता अध्ययन/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भी स्वीकार्य घटक हैं।

निधियों के उपयोग से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 2017-18 के बाद से इस उद्देश्य के लिए संशोधित अनुमान (सं.अ.) चरण में भी किए गए आवंटन का 31-73% तक लगातार कम उपयोग किया गया है। समिति दिए गए उत्तर से नोट करती है कि यह योजना मांग आधारित है और इस आशय के अनुरोध प्राप्त होने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए

जाने के बाद ही राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र/शहरी स्थानीय निकायों/मेट्रो रेल कारपोरेशन आदि को निधियां आबंटित की जाती हैं। इसलिए, यह माना जा सकता है कि चूंकि निधियों के लिए अनुरोध उपलब्धता के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए निधियों का कम उपयोग किया गया और 2017-18 के बाद से इसे वापस करना पड़ रहा है। तथापि, समिति का विचार है कि चूंकि कई टियर-2 शहरों/कस्बों द्वारा मेट्रो नेटवर्क, इलेक्ट्रिक बस सेवाएं आदि जैसी प्रदूषण मुक्त गतिशीलता सेवाएं प्रदान करने के लिए पहल की जा रही है, इसलिए समिति मानती है कि ऐसे अध्ययनों को करने के लिए निधियों की मांग में कोई कमी नहीं होगी। समिति का मानना है कि इस योजना के बारे में लक्षित लाभार्थियों में जागरूकता की कमी हो सकती है। यदि उक्त प्रयोजन के लिए लक्षित लाभाथयों को निधियों की उपलब्धता के बारे में जागरूकता होती, तो निधियों का वर्ष-दर-वर्ष इस प्रकार का कम उपयोग नहीं होता। अतः समिति का यह सुझाव हैं कि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों, आयोजना प्राधिकरणों, मेट्रो रेल प्राधिकरणों को नियमित अंतराल पर पत्राचार एवं अन्य माध्यमों द्वारा निधियों की उपलब्धता के बारे में अवगत कराया जाए। यदि निधियों की कोई मांग नहीं है, तो वित्तीय वर्ष के अंत में वापस करने के बजाय इसका कहीं और उपयोग किया जा सकता है।

सिफारिश संख्या 3

<u>संबद्ध अवसंरचना और ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स सहित सिटी बस सेवाओं का संवर्धन</u>

समिति ने अनुदानों की मांगों (2021-22) से संबंधित अपने पांचवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में बजट 2021-22 में घोषित पीपीपी मोड पर संबद्ध अवसंरचना सहित सिटी बस सेवाओं के संवर्धन, जीएचजी उत्सर्जन में कमी और स्थायी गतिशीलता का समर्थन करने हेतु ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स के लिए 18,010 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ तैयार की गयी एक नई योजना "एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स सहित सिटी बस सेवाओं का संवर्धन" की शुरुआत किए जाने की सराहना करते हुए, यह सिफारिश की थी कि यह महत्वपूर्ण पहल मिशन मोड में लागू की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत चार्जिंग प्वाइंट, सीएनजी स्टेशनों का प्रचालन आदि जैसी अपेक्षित अवसंरचना का सृजन समय पर किया जाए।

तथापि, समिति इस बात से निराश है कि (क) मिशन मोड के अंतर्गत इस योजना को शुरू करने के सुझाव पर मंत्रालय का उत्तर मौन है; और, (ख) एक वर्ष बीत जाने के बाद भी उक्त योजना को व्यय वित्त समिति (ईएफसी) का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। समिति को मंत्रालय के उत्तर से पता चला

है कि इस योजना को शुरू करने में विलंब (क) योजना में संरचनात्मक परिवर्तन के लिए ईएफसी की सलाह; और, (ख) विभिन्न हितधारकों की प्रतिक्रिया/जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों के अधिकारियों, नगर अधिकारियों, बस विनिर्माताओं और बस प्रचालकों के साथ बैठकें आयोजित करने के कारण हुआ था । मंत्रालय ने जानकारी दी है कि यह प्रस्ताव आवासन और शहरी विकास मंत्रालय (एमओएचयूए) में अनुमोदन के अग्रिम चरण में है और इसे मार्च, 2022 में ही ईएफसी द्वारा मूल्यांकन हेतु व्यय विभाग को प्रस्तुत करने के लिए विचार किया जा रहा है। सभी हितधारकों की सहमति प्राप्त करने और वास्तविक कार्यान्वयन से पहले प्रक्रियाओं को पूरा करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भी, ईएफसी के अनुमोदन के लिए अंतिम प्रस्ताव रखने के लिए एक वर्ष का समय लेना वांछनीय नहीं है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, समिति यह सिफारिश करती है कि:

(एक) योजना को बिना कोई और देरी के मिशन मोड में कार्यान्वित किया जा सकता है और ईएफसी से आवश्यक अनुमोदन और अधिक समय गँवाए बिना लिया जा सकता है; और

(दो) समिति को योजना की यथानुमोदित रूपरेखा और योजना के कार्यान्वयन की अंतिम स्थिति के बारे में भी जानकारी दी जा सकती है।

<u>प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)</u>

सिफारिश संख्या 4

<u>प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत वास्तविक प्रगति</u>

समिति नोट करती है कि 2015 में शुरू की गई इस योजना के अधीन, 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ, 1.15 करोड़ आवासों को मंजूरी दी गई थी, लगभग 94 लाख घरों का निर्माण शुरू किया गया है और लगभग 55 लाख आवासों का निर्माण पूरा किया गया है। उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलता है कि योजना के प्रारंभ होने के बाद से सात वर्ष बीत जाने के बाद भी, लक्षित घरों में से केवल 50% (लगभग) का निर्माण पूरा किया गया है। समिति ने आगे यह भी नोट किया है कि भले ही सभी स्वीकृत घरों के निर्माण को पूरा करने की समय सीमा को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन 31 मार्च, 2022 के बाद किसी भी नए आवास को मंजूरी नहीं दी जाएगी या नए डीपीआर पर विचार नहीं किया जाएगा। समिति को राज्य प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान यह भी जानकारी दी गयी कि पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत परियोजनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि भी कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में अधिग्रहित नहीं की गई है। इसके अलावा, समिति ने यह भी नोट किया है कि पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत निर्मित कई घर रहने योग्य स्थिति में नहीं हैं, जिनमें खिड़कियां

और दरवाजे गायब हैं और असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिए गए हैं। समिति का विचार है कि आवासों की ऐसी स्थिति पूर्ण हो चुके मकानों को लक्षित लाभाथयों को सौंपने में विलंब के कारण भी हो सकती है। समिति सचिव, एमओएचयूए के इस कथन से सहमत होते हुए कि पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत निर्मित आवासों की 'गुणवत्ता' मंत्रालय की जिम्मेदारी है, समिति यह सिफारिश करती है कि:

(एक) मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, भूमि का अधिग्रहण करें और विभिन्न तकनीकी और संभारतंत्रीय कठिनाइयों को दूर करें और 31 मार्च, 2022 से पहले पोर्टल पर आवश्यक प्रस्ताव/आवेदन प्रस्तुत करें;

(दो) मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों की गुणवत्तापूर्ण विश्वसनीयता और उनमें निवास करने की योग्यता सुनिश्चित करने के लिए इस मामले को राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से उठाता है और पीएमएवाई (यू) के तहत निर्मित सभी घरों में लिफ्ट का प्रावधान सुनिश्चित करें।

(तीन) समयबद्ध तरीके से लाभाथयों को पूर्ण किए गए आवासों को सौंपना सुनिश्चित करना।

सिफारिश संख्या 5

<u>पीएमएवाई-यू के अंतर्गत वर्षवार आबंटन और उपयोग राशि</u>

सं.अ. चरण में पीएमएवाई (यू) के लिए संसाधनों के आवंटन और उपयोग पर आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि (एक) वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से ही वर्ष 2018-19 के अलावा आवंटन में लगातार वृद्धि हुई है, जब इसके आवंटन में 2137 करोड़ रुपये की गिरावट देखी थी; और, (दो) कुछ वर्षों में उपयोग 90% से अधिक और सं.अ. चरण में किए गए आबंटनों का लगभग 100% रहा था। लगभग पूर्ण आबंटनों को खर्च करने के लिए मंत्रालय की सराहना करते हुए, समिति मंत्रालय द्वारा की गई प्रस्तुति से नोट करके कि पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए उन्हें दिए गए 28000 करोड़ रुपये की तुलना में बहुत अधिक है और अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, लगभग 82000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

समिति, (एक) योजना के शुरू होने के बाद से निधियों के उपयोग में मंत्रालय के उत्कृष्ट रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए (दो) उन आवेदकों को निधियां वितरित करने की आवश्यकता है जिनके आवेदन प्राप्त, संसाधित और स्वीकृत किए गए हैं या 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले स्वीकृत किए जाने की संभावना है; (तीन) निर्माण/अचल संपत्ति क्षेत्र का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले गुणक प्रभाव; और, (चार) 'सभी के लिए आवास' प्रदान करने के लिए निर्धारित लक्ष्य, के मद्देनजर दृढ़तापूर्वक यह सुझाव देती है कि इस प्रयोजनार्थ मंत्रालय द्वारा मांगी गई अतिरिक्त निधियां इस वर्ष में सं.अ. स्तर पर और अगले वर्ष के बजट में भी प्रदान की जाएं।

सिफारिश संख्या 6

<u>पीएमएवाई (यू) के लिए क्षमता निर्माण, प्रशासनिक और अन्य व्यय के लिए सरकारी क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता अन्य खर्च (सहायतानुदान-सामान्य)</u>

समिति नोट करती है कि इस शीर्ष के अंतर्गत पीएमएवाई-यू के अंतर्गत आबंटित निधियां, केन्द्रीय क्षमता निर्माण संबंधी कार्यकलापों के लिए केन्द्रीय पीएसयूज/स्वायत्त निकायों को जारी की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, शीर्ष का उपयोग, पीएवाई-यू के प्रौद्योगिकी उप-मिशन घटक के अंतर्गत प्रदर्शन आवास परियोजनाओं (डीएचपी) और लाइट हाउस परियोजनाओं (एलएचपी) के कार्यान्वयन के लिए भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) और पीएमएवाई-यू के अंतर्गत एक उप-योजना, के अंतर्गत किफायती किराया आवास परिसरों (एआरएचसी) को सहायता अनुदान जारी करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी उप मिशन घटक का उद्देश्य आवासों के तेजी से और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए आधुनिक, अभिनव और हरित प्रौद्योगिकियों और निर्माण सामग्री को अपनाने की सुविधा प्रदान करना है।

वर्ष 2017-18 से निधियों के आवंटन और उपयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के अलावा, सं.अ. चरण पर आवंटित निधियों का निरंतर कम/शून्य उपयोग किया जा रहा है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि मार्च, 2022 में 'सभी के लिए आवास योजना' की समाप्ति के बाद भी इस प्रयोजन के लिए क्या धन आवंटित किया जाना जारी रहेगा। समिति ने यह नोट किया कि संभव है कि कोविड-19 महामारी ने इस शीर्ष के अंतर्गत उपयोग को धीमा कर दिया हो, लेकिन इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वर्ष 2022 तक 'सभी के लिए आवास' प्राप्त करने की समय सीमा निकट आ रही है, आधुनिक, तीव्र और हरित निर्माण प्रौद्योगिकियों पर बल

देने के साथ, इस शीर्ष के अंतर्गत निरन्तर कम उपयोग/शून्य उपयोग मंत्रालय के लिए अच्छा नहीं है। उपर्युक्त को देखते हुए, समिति को निम्नवत से अवगत कराया जाए:

(एक) वर्ष 2019-20 के अलावा, 2017-18 के बाद से, सं.अ. चरण पर किए गए आबंटन की तुलना में भी निधियों का पर्याप्त रूप से कम उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं और कम उपयोग स्तरों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

(दो) (क) आवासों के निर्माण में विकसित और लागू की गई आधुनिक, नवोन्मेषी और हरित प्रौद्योगिकियों; और, (ख) आवासों के तीव्रता और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए विकसित की गई निर्माण सामग्री के विशिष्ट मामलों का ब्यौरा क्या है।

(तीन) क्या मार्च, 2022 में इस योजना की समाप्ति के बाद भी निधियों का आबंटन जारी रहेगा;

इसके अतिरिक्त, समिति ने एमओएचयूए को इस मिशन के अंतर्गत शुरू की गई सभी लाइट हाउस परियोजनाओं (एलएचपी) और डीएचपी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना सुनिश्चित करके इस शीर्ष के अंतर्गत आबंटित निधियों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करके, टीएसएम को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए भी सिफारिश की।

सिफारिश संख्या 7

<u>पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के एक भाग के रूप में विधानमंडलों के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता</u>

इस शीर्ष का आशय विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में अनुसूचित जाति श्रेणी के लाभार्थियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए है। समिति, एमओएचयूए द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से नोट करती है कि विधानमंडल के बिना केंद्र शासित प्रदेशों में, 4,673 आवासों के निर्माण के लिए 18 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और 70.09 करोड़ रुपये की अनुमोदित केंद्रीय सहायता में से, अब तक कुल 36.40 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जो संस्वीकृत राशि के 50% से थोड़ा अधिक है।

समिति आगे यह नोट करती है कि संस्वीकृत आवासों में से 4,137 आवासों को निर्माण के लिए नींव डाली गई जबकि केवल 861 आवासों अर्थात् 21 प्रतिशत आवासों को ही पूरा किया गया है और लाभार्थियों को सुपुर्द कर दिया गया है। वास्तव में, गत पांच वित्तीय वर्षों 2017-18 से 2021-22 के दौरान, केवल सं.अ. चरण में आवंटित न्यूनतम राशि खर्च की गई थी। यहां तक कि

चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2021-22 के दौरान, 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार, इस शीर्ष के अंतर्गत "शून्य" राशि खर्च की गई है।

एमओएचयूए का तर्क है कि संस्वीकृत परियोजनाओं में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की कम संख्या तथा परियोजनाओं की कम संख्या में अनुपालन की उपलब्धि के कारण वर्ष, 2018-19 से निधियों का सतत और पर्याप्त कम/शून्य उपयोग रहा है। यदि राज्य सरकार प्राधिकरणों ने गत चार वर्षों से निधियों का नियमित अंतराल पर अभ्यर्पण के मामलों को उठाया होता तो इससे बचा जा सकता था। समिति का विश्वास है कि इन वंचित समुदायों में पात्र व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है जिन्हें आवासीय इकाइयों की आवश्यकता होती है। यदि मंत्रालय ने नियमित अंतराल पर संबंधित संघ राज्य क्षेत्र सरकार की आवश्यकता पर ध्यान दिया होता, तो वर्ष-दर-वर्ष निधियों को अभ्यर्पित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए, समिति का सुझाव है कि योजना की समाप्ति से पहले निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएं।

स्मार्ट सिटी मिशन

सिफारिश संख्या 8

<u>स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए एएफडी द्वारा वित्तपोषित स्कीम - पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान</u>

समिति को अवगत कराया गया है कि इस शीर्ष का सृजन 11 स्मार्ट सिटी एसपीवी (अर्थात् अगरतला, अमृतसर, अमरावती, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, हुबली-धारवाड़, कोच्चि, सूरत, विशाखापत्तनम, उज्जैन) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था, जिन्हें धारणीय शहरी अवसंरचना तैयार करने के लिए वर्ष 2018 में आवासन और शहरी मामले मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के अंतर्गत सिटी इन्वेस्टमेंट्स ट्र इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन (सीआईटीआईआईएस) कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित किया गया था। तथापि, इस शीर्ष के अंतर्गत धन आवंटन और उपयोग दर्शाता है कि कार्यक्रम डिजाइन के अनुसार, चयनित 11 शहर वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनिवार्य अनुपालन दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम थे और उन्हें अब तक केवल पहली किस्त जो अनुदान घटक का 10% है, अर्थात् 72 करोड़ रुपये प्राप्त हुई है। दूसरी किस्त (अनुदान घटक का 40%) का दावा करने के लिए, एसपीवी को परिपक्वता चरण को पूरा करना था और पहली किस्त के 80% राशि के उपयोग के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना था। यह जानना निराशाजनक है कि बाद के वित्तीय वर्ष, अर्थात् 2020-21

और 2021-22 में एसपीवी वितरित की गई इस पहली किस्त के 80% का भी उपयोग नहीं कर सके या परिपक्वता चरण को पूरा नहीं कर सके और इसलिए, दूसरी किस्त का दावा नहीं कर सके। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए और यह कि सीआईटीआईआईएस अपने आप में एक अनूठी पद्धति है, समिति चाहती है कि एसपीवी, जिन्होंने अभी तक पहली किस्त का उपयोग नहीं किया है, उनके द्वारा कार्यक्रम दिशानिर्देशों को पूरा करने के लिए गैर-अनुपालन के कारणों पर एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट साथ ही, उनपर एमओएचयूए की टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत की जाए।

समिति इस बात पर एकमत मत है कि एमओएचयूए की भूमिका केवल निधियों के आबंटन तक ही सीमित नहीं होगी। एमओएचयूए को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 11 एसपीवी आवश्यक अनुपालन सेट को पूरा करने में सक्षम हैं और विनिर्दिष्ट कार्यक्रम से लाभ उठाने में भीसक्षम हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

सिफारिश संख्या 9

एसबीएम (यू) के अंतर्गत वर्ष-वार आवंटन और उपयोग

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के लिए 2016-17 से 2020-21 तक पांच साल की अवधि के लिए संसाधनों के आवंटन और खर्च की पद्धति से यह पता चलता है कि आवंटन का 90% से अधिक खर्च किया, जब उसने 2018-19 में सं.अ. चरण में उपलब्ध निधियों का केवल 82% खर्च किया था। इसके अलावा, तीन वित्तीय वर्षों 2017-18, 2019-20 और 2020-21 में, सं.अ. चरण में उपलब्ध कराए गए निधि का लगभग 100% खर्च किया गया। चालू वित्तीय वर्ष के आंकड़ों से पता चलता है कि 07.02.2022 तक, यह सं.अ. चरण में आवंटित निधि का 37% खर्च किया था।

अगले दो महीनों में, संशोधित अनुमान के शेष 63% करने के लिए मंत्रालय की क्षमता के बारे में समिति की आशंका के प्रत्युत्तर में, मंत्रालय ने बताया कि 07.03.2022 की स्थिति के अनुसार निधि के 62% पहले ही खर्च/जारी किए जा चुके हैं और 31 मार्च 2022 से पहले शेष 38% भी खर्च/उपयोग किए जाएगें। समिति को यह आश्चर्यजनक लगता है कि मंत्रालय ने लगभग 30% निधियां एक महीने के भीतर और अन्य 38% एक महीने से भी कम समय में खर्च कर दी। इसके अलावा, समिति ने 09.03.2022 को समिति के समक्ष पेश होने के दौरान मंत्रालय द्वारा किए गए अनुरोधों से यह नोट करती है कि आज की तारीख के अनुसार एसबीएम 2.0 के अंतर्गत

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 700 करोड़ रुपये मंत्रालय तक पहुंच चुके हैं, जिन पर 31.03.2022 तक मंत्रालय कार्रवाई करेगा। समिति इस बात को लेकर आशंकित है कि क्या इस तरह के "मार्च-रश" जहां किसी विशेष मद के अंतर्गत आवंटित अधिकांश निधियां अंतिम तिमाही में खर्च की जा रही है, को विवेकपूर्ण खर्च माना जा सकता है। समिति यह स्वीकार करते हुए कि यह एक मांग आधारित योजना है और व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मंत्रालय को भेजी गई मांगों पर निर्भर करता है, तथापि, यह इंगित करता है कि इस तरह के जल्दबाजी में किए गए व्यय से यह आभास होता है कि मांग केवल इस मद के अंतर्गत आवंटित निधि का उपयोग करना किसी उद्देश्य से उत्पन्न की गई है ।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, समिति ने 2016-17 से 2020-21 के दौरान, लगातार आवंटित संसाधनों का उपयोग पांच वर्षों में से तीन वर्षों में, 90% से अधिक का उपयोग करने में उनके सराहनीय प्रदर्शन के लिए मंत्रालय की सराहना करते हुए, लगभग 100% है, समिति चाहती है कि वे चालू वित्तीय वर्ष के खर्च में इतनी बड़ी कमी के कारणों से समिति को अवगत कराएं और व्यय विभाग द्वारा जारी विहित दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में वित्तीय वर्ष के अंत में पर्याप्त आवंटन से बचने के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराएं। .

सिफारिश संख्या 10

<u>एसबीएम के लिए क्षमता निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता/भागीदारी सहायतानुदान सामान्य</u>

समिति नोट करती है कि इस शीर्ष के अंतर्गत आवंटित निधियां राज्यों को एसबीएम-यू के संबंध में संबंधित राज्यों द्वारा क्षमता निर्माण, प्रशासनिक और कार्यालयी व्यय (सीबी एंड ए एंड ओई) के लिए गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए जारी की जाती है ताकि उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके। स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंनिधि मूल्य श्रृंखला में प्रमुख हितधारक और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में विभिन्न स्तरों पर प्रमुख पेशेवरों की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक वयय को पूरा करने की दिशा में है।

समिति आगे यह भी नोट करती हैं कि केंद्रीय शेयर सहायता जारी करना योजना के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, सभी तरह से पूर्ण औपचारिक मांग की प्राप्ति के अधीन है। इस प्रकार, इसके अंतर्गत की गई कोई भी रिलीज केवल मंत्रालय द्वारा विधिवत पूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति के अधीन है और कोविड -19 महामारी के कारण, राज्यों से पर्याप्त मांग प्राप्त नहीं हुई थी।

हालांकि, समिति नोट करती है कि 2018-19 को छोड़कर, 2017-18 से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान, अवास्तविक बजट अनुमानों को संसाधनों के अविवेकपूर्ण आवंटन का संकेत देते हुए रखा गया है और यह कि कोविड-19 जो एक हालिया घटना है, को एकमात्र निवारक के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2021-22 के दौरान भी, जिसके अंतर्गत बीई स्तर पर इस शीर्ष के अंतर्गत आवंटित 150 करोड़ को सं.अ. चरण पर घटाकर 100 करोड़ कर दिया गया था, केवल 8.93 करोड़ ही जारी किए जा सका।

समिति ने गत वर्षों के वास्तविक बजट की तुलना में अविवेकपूर्ण बजटीय आवंटन पर चिंता व्यक्त करते हुए, वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक सं.अ. चरण पर निर्धारित निधि के पूरे उपयोग के लिए मंत्रालय की सराहना करती है। हालांकि, समिति को आशंका है कि चालू वित्त वर्ष (31.12.21 तक) में सं.अ. चरण के आवंटन के मात्र 9% उपयोग के परिणामस्वरूप सं.अ. चरण पर आवंटन की पर्याप्त राशि का अभ्यर्पण हो सकता है। इसलिए, समिति तीसरे तिमाही तक, इस तरह के कम उपयोग के कारणों और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में निधि के अभ्यर्पण से बचने के लिए उनके उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों से अवगत होना चाहती हैं।

सिफारिश संख्या 11

<u>एसबीएम के लिए आईईसी- विज्ञापन और प्रचार</u>

समिति नोट करती है कि यह शीर्ष मिशन के विज्ञापन और प्रचार के लिए है। विज्ञापन और जन प्रचार अभियान प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया (डीएवीपी के माध्यम से) और सोशल मीडिया (अनुबंधित एजेंसी के माध्यम से) में चलाए जाते हैं। मिशन ने ऑल इंडिया रेडियो (AIR) के माध्यम से एक साल का प्रचार अभियान 'स्वच्छता सेल्फी' भी चलाया थ। इसके अलावा, प्रचार के लिए एनएफडीसी के माध्यम से ऑडियो-वीडियो क्लिप भी तैयार की जाती हैं। समिति मानती है कि स्वच्छ भारत मिशन को न केवल शौचालय निर्माण जैसे उत्पादन आऊटपुट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किया गया था, बल्कि "खुले में शौच मुक्त" सहित व्यवहारिक परिणामों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था और इस मिशन के अंतर्गत अपेक्षित बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए विज्ञापन और प्रचार एक महत्वपूर्ण कारक है। .

तथापि, समिति यह देखकर क्षुब्ध है कि इस शीर्ष के अंतर्गत 2017-18 से 2019-20 तक के आवंटन और व्यय की प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि सं.अ. चरण में भी किए गए आवंटन से 'वास्तविक'

बहुत कम हो गया और निधियों के काफी कम उपयोग के बावजूद, पिछले वर्षों की उच्च और अवास्तविक राशि का आवंटन बाद के वर्षों के बजट अनुमान में किया गया था, जिसमें निधि के व्यय या उपयोग पर कोई जोर नहीं दिया गया था। समिति का यह मत है कि केवल शहरों को ओडीएफ या ओडीएफ+ घोषित करना ही काफी नहीं है। बल्कि वर्षों से उस स्थिति को बनाए रखने के लिए निरंतर और लगातार प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और मंत्रालय द्वारा गार्ड को किसी भी तरह से कम करने से देश को मिशन-पूर्व अवधि में वापस धकेल दिया जा सकता है, जिसके लिए मंत्रालय के मीडिया अभियान को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इसलिए समिति सुझाव देती है कि वास्तविक बजटीय आवंटन किया जाए और आवंटित संसाधनों का पूरा उपयोग किया जाए।

<u>दीन दयाल अंत्योदय योजना (डे-एनयूएलएम)</u>

सिफारिश संख्या 12

<u>एनयूएलएम- अनुदान-सहायता सामान्य के अंतर्गत अभिनव और विशेष परियोजनाएं (आई एंड एसपी)</u>

समिति नोट करती है कि इस शीर्ष का उपयोग पूर्वोत्तर राज्यों से इतर को मिशन के अभिनव और विशेष परियोजनाओं (आई एंड एसपी) घटक के कार्यान्वयन के लिए सहायता अनुदान जारी करने के लिए किया जाता है। समिति को इस बात पर खेद है कि 2018-19 से सं.अ. चरण के आवंटन की तुलना में एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया था।

मंत्रालय द्वारा इस शीर्ष के अंतर्गत आवंटित निधियों के इस "शून्य" उपयोग का कारण आई एंड एसपी के अंतर्गत राज्यों से उपयुक्त प्रस्तावों की कमी है और इसलिए उपलब्ध बजट का उपयोग अनुमोदित कार्य योजनाओं और पिछली देयताओं पर किया गया था। हालांकि, समिति मंत्रालय के इस स्पष्टीकरण को समझने में असमर्थ है क्योंकि इस शीर्ष के अंतर्गत आवंटित बजट का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है (शून्य) यहां तक कि अनुमोदित कार्य योजनाओं और पिछली देयताओं पर भी, जैसा कि डीडीजी में वर्षों से प्रस्तुत आंकड़ों में देखा गया है। फिर भी, समिति को यह नोट करके प्रसन्नता हुई है कि वर्ष 2021-22 में संशोधित अनुमान के स्तर पर इस मद के अंतर्गत आवंटन में भारी उछाल आया है, जो रुपये का भुगतान करने के लिए है। एनएसडीसी (राष्ट्रीय कौशल विकास निगम) को निर्माण क्षेत्र में 1.06 लाख उम्मीदवारों के कौशल

प्रशिक्षण के लिए नई आई एंड एसपी परियोजना के लिए 46.50 करोड़ रुपये (लगभग) की अनुमानित लागत के साथ अभिनव और विशेष परियोजनाएं (आई एंड एसपी) घटक के अंतर्गत लेकिन साथ ही इस बात को लेकर आशंकित महसूस करें कि क्या मंत्रालय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, बढ़ी हुई राशि का उपयोग कर पाएगा कि 31.12.2021 तक, इस शीर्ष के अंतर्गत वास्तविक व्यय अभी भी "शून्य" है। इसलिए, समिति मंत्रालय से यहसिफारिश करती है:

(एक) समिति का मूल्यांकन करें कि उपलब्ध बजट का उपयोग स्वीकृत कार्य योजनाओं और पिछली देयताओंपर कैसे किया गया था, जब 2018-19 से प्रत्येक वर्ष का वास्तविक व्यय "शून्य" दिखाया गया है;

(दो) निर्माण क्षेत्र में 1.06 लाख उम्मीदवारों के कौशल प्रशिक्षण हेतु नई आई एंड एसपी परियोजना की स्थिति के बारे में भी समिति को अवगत कराएं और यह भी बताएं कि एनएसडीसी को 31.12.2021 तक इस उद्देश्य के लिए कोई निधियां क्यों जारी नहीं की गई है; तथा

(तीन) गैर एनईआर राज्यों के साथ डीएवाई-एनयूएलएम के आई एंड एसपी घटक के अंतर्गत अधिक से अधिक परियोजनाएं शुरू करने का प्रयास करें ताकि इस विशेष शीर्ष के अंतर्गत आवंटित धन का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके।

लेखन सामग्री एवं मुद्रण

सिफारिश सं. 13

सरकारी प्रिंटिंग प्रेस-मशीनरी और उपकरण के लिए लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय

समिति नोट करती है कि इस शीर्ष के अंतर्गत आवंटित धनराशि भारत सरकार की प्रिंटिंग प्रेस हेतु मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए है। समिति आगे नोट करती है कि इस शीर्ष का बजट अनुमान 2017-18 में 0.50 करोड़ से लेकर 2020-21 में 90 करोड़ अधिक से अधिक रहा। तथापि, समिति ने चिंता व्यक्त की कि 2017-18 में सं.अ. स्तर पर किए गए आवंटन का केवल 66% उपयोग किया गया था। आगे 2018-19 में उपयोगिता और कम हो गई, जिसके दौरान सं.अ. स्तर पर "शून्य" व्यय रहा और शून्य उपयोग की प्रवृत्ति फिर से जारी रही, 2019-20 और 2020-21 में भारी आवंटन के बावजूद तथा सं.अ. स्तर पर भी आवंटन में भारी वृद्धि के बावजूद

कोई राशि खर्च नहीं की जा सकी। समिति ने कम/शून्य उपयोग के लिए एमओएचयूए द्वारा प्रस्तुत किए गए कारणों की जांच करते हुए पाया कि: (i) वर्ष 2017-18 के दौरान खरीदी गई मशीनरी की लागत मशीनरी की अनुमानित लागत से कम थी; (ii) 2019-20 और 2020-21 भारत सरकार प्रेस, मिंटो रोड, नई दिल्ली के आधुनिकीकरण के अंतर्गत मशीनरी की खरीद के लिए राशि प्रस्तावित की गई थी, लेकिन प्रेस के भवन के निर्माण के पूरा होने में देरी के कारण व्यय नहीं की जा सकी; (iii) मशीनरी की खरीद के लिए मांगी गई निविदा भागीदारी की कमी के कारण रद्द कर दी गई, (iv) भारत सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए से कम की वैश्विक निविदा आमंत्रित करने पर प्रतिबंध लगाए गए थे। समिति ने (i) से (iv) बिंदुओं में दिए गए कारणों के औचित्य को स्वीकार करते हुए इस शीर्ष के अंतर्गत निधियों के कम/शून्य उपयोग को इंगित करते हुए कहा कि उपरोक्त सभी कारणों और "शून्य" खर्च की तुलना में भी पिछले वर्षों (2019-20 और 2020-21) में सं.अ. को तेजी से कम करने के बावजूद, इस उद्देश्य के लिए बाद के वर्षों (अर्थात् 2020-21 और 2021-22) में भी अधिक आवंटन की मांग की गई और यहाँ तक कि चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2021-22 में भी सं.अ. चरण के दौरान आवंटित 65 करोड़ में से 31.12.2021 तक केवल 1.94 लाख खर्च किए जा सके हैं। अतः समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि:

(एक) कोविड-19 के कारण हुए समय के नुकसान की भरपाई और भारत सरकार प्रेस, मिंटो रोड, नई दिल्ली की आधुनिकीकरण परियोजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाने चाहिए;

(दो) मशीनरी की खरीद के लिए जारी निविदा के लिए भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएं और व्यापक प्रचार किए जाएँ; तथा,

(तीन) इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आवश्यक मशीनरी का निर्माण स्वदेशी रूप से नहीं किया जाता है, 200 करोड़ रुपये से कम की वैश्विक निविदा आमंत्रित करने पर भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में एक बार छूट की मांग करने के लिए व्यापक परामर्श के माध्यम से उपयुक्त कदम उठाए जाएं।

<u>विभिन्न योजनाओं का जवाबदेही तंत्र</u>

सिफारिश सं. 14

<u>उपयोगिता प्रमाणपत्र</u>

समिति नोट करती है कि जीएफआर 151(1) के अनुसार, पिछले वर्ष जारी किए गए अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए ताकि आगामी वर्षों के लिए अनुदान सहायता स्वीकृत की जा सके। समिति

मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तरों से आगे नोट करती है कि मंत्रालय द्वारा जोरदार अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद, पिछले वित्तीय वर्षों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी भी लंबित हैं। समिति चिंता व्यक्त करती है कि जब तक इन लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को मंत्रालय द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है, तब तक उक्त शीर्ष के अंतर्गत आगे की धनराशि जारी नहीं की जाएगी जिससे योजना/कार्यक्रम की प्रगति धीमी हो जाएगी। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए कि संबंधित राज्यों/यूएलबी द्वारा पिछले वर्ष के सभी लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ताकि उन्हें आवश्यक धनराशि जारी की जाए।

सिफारिश सं. 15

<u>तीसरे पक्ष द्वारा निगरानी</u>

समिति नोट करती है कि एमओएचयूए के अंतर्गत लगभग सभी योजनाओं में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बनाई गई संपत्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण और निगरानी एक घटक है। इस संदर्भ में, समिति यह नोट करके चिंतित है कि यूसी और तीसरे पक्ष की निगरानी जैसे जवाबदेही तंत्र के बावजूद, निर्मित की गई संपत्ति की गुणवत्ता संतोषजनक से भी कम है। समिति का मत है कि निरीक्षण करने के लिए चयनित तृतीय पक्ष एजेंसी गंभीर नहीं है और लाभार्थियों से लगातार शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। समिति आगे यह भी नोट करती है कि निरीक्षण का कोई विवरण जैसे निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी का नाम, ऐसे निरीक्षण का समय आदि उस क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नहीं दिया जाता है जिससे वे अपनी चिंताओं को उजागर करने के अवसर से वंचित रह जाते हैं। अतः समिति सिफारिश करती है कि स्थानीय निकायों, विधान सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और संबंधित वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्यों को परियोजना निर्माण के चरण से कार्यान्वयन तक शामिल किया जा सकता है और उन्हें तीसरे पक्ष के निरीक्षण के विवरण के बारे में भी सूचित किया जा सकता है जैसे कि निरीक्षण

एजेंसी का विवरण और समय पर निरीक्षण का समय ताकि उसका सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

म्युनिसिपल बांड

सिफारिश सं. 16

समिति पाती है कि अमृत और स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) जैसी योजनाओं में नगरपालिका बांडों के माध्यम से धन जुटाना एक घटक है। समिति यह जानकर प्रसन्न है कि गाजियाबाद, लखनऊ और 10 अन्य शहरों जैसे विभिन्न नगर निगमों ने क्रेडिट रेटिंग मूल्यांकन किया है और बाजार से धन जुटाने में सफल रहे हैं। हालांकि, समिति राजधानी दिल्ली की नगर निगमों की क्षमताओं में अत्यंत भिन्नताओं देखकर आश्चर्यचकित है, जिसमें एनडीएमसी को नगरपालिका बांड के माध्यम से धन जुटाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके पास पर्याप्त राजस्व है जबकि उत्तरी एमसीडी के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। इसके अलावा, समिति यह नोट करके चिंतित है कि एसडीएमसी नगरपालिका बांड के माध्यम से धन जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें सक्षम प्राधिकारी अर्थात् दिल्ली सरकार द्वारा आवश्यक अनुमोदन नहीं दिया जा रहा है। अतः समिति सिफारिश करती है कि:

(एक) मंत्रालय विभिन्न नगर निकायों की ऋण योग्यता में सुधार हेतु उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता पर प्रभाव डालने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मामला उठाए और यह सुनिश्चित करे कि पर्याप्त क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित किया जाए; तथा,

(दो) मंत्रालय दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को नगर निगम बांडों के माध्यम से धन जुटाने में सक्षम बनने के लिए इस मामले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समक्ष उठा सकता है।

जगदम्बिका पाल,
सभापति,
आवासन और शहरी कार्य
संबंधी स्थायी समिति

नई दिल्ली;
23 मार्च, 2022
03 चैत्र, 1944 (शक)

*****

अनुबंध-एक

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2021-2022)

आवासन और शहरी कार्य संबंधी समिति की बुधवार, 09 मार्च, 2022 को हुई छठी बैठक का कार्यवाही-सारांश।

समिति की बैठक 1100 बजे से 1700 बजे तक मुख्य समिति कक्ष, भूतल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जगदम्बिका पाल - **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. ***श्रीमती हेमामालिनी***
3. ***श्री अदला प्रभाकर रेड्डी***
4. ***श्री रामचरण बोहरा***
5. ***श्री राहुल रमेश शेवाले***
6. ***श्रीमती अपराजिता सारंगी***
7. *श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण*
8. ***श्री रमेश चन्द्र कौशिक***

राज्य सभा

9. ***श्री कुमार केतकर***
10. ***श्री दिग्विजय सिंह***

सचिवालय

1.	***श्री विनोद कुमार त्रिपाठी***	-	***संयुक्त सचिव***
2.	***श्री श्रीनिवासुलु गुंडा***	-	***निदेशक***
3.	***सुश्री स्वाति परवल***	-	***उप सचिव***

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय		
1.	**श्री मनोज जोशी**	**सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**
2.	**श्री कामरानी रिज़वी**	**अपर सचिव**
3.	**सुश्री डी. थारा**	**अपर सचिव**
4.	**सुश्री रूपा मिश्रा**	**संयुक्त सचिव**
5.	**श्री कुलदीप नारायण**	**संयुक्त सचिव**
6.	**श्री कुणाल कुमार**	**संयुक्त सचिव**
7.	**श्री वेद प्रकाश**	**संयुक्त सचिव**
8.	**श्री पंकज कुमार सिंह**	**संयुक्त सचिव**
9.	**श्री एस के राम**	**संयुक्त सचिव (पीएसपी)**
10.	**श्री एस.एस. दुबे**	**संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार**
11.	**श्री जयदीप**	**ओएसडी (यूटी)**
12.	**श्री दिनेश कपिला**	**आर्थिक सलाहकार**
13.	**श्री अवतार सिंह संधू**	**सीसीए**
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि)		
14.	**श्री शैलेंद्र शर्मा**	**महानिदेशक, के.लो.नि.वि**
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी)		
15.	**श्रीमती अर्चना अग्रवाल**	**सदस्य सचिव , एनसीआरपीबी**
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी)		
16.	**श्री अजीत शर्मा**	**निदेशक, डीएमआरसी**
राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी)		
17.	**डॉ. पी.के. गुप्ता**	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी**
दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि वि प्रा)		
18.	**श्री मनीष गुप्ता**	**उपाध्यक्ष, दि वि प्रा**
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी)		
19.	**श्री प्रवीण कुमार गुप्ता**	**सचिव (यूडी), जीएनसीटीडी**
नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी)		

20.	**श्री धर्मेंद्र**	**अध्यक्ष, एनडीएमसी**
दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)		
21.	**श्री उदित कुमार**	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीजेबी**
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी)		
22.	**श्री ज्ञानेश भारती**	**आयुक्त, एसडीएमसी**
23.	**श्री विकाश आनंद**	**आयुक्त, ईडीएमसी**
24.	**श्री संजय गोयल**	**आयुक्त , एनडीएमसी**

2. सर्वप्रथम, सभापति ने मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2022-23) के संबंध में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने हेतु बुलाई गई समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

(तत्पश्चात साक्षियों को अंदर बुलाया गया)

3. सभापति ने साक्षियों का स्वागत किया। वर्ष 2022-23 के लिए मंत्रालय के 76,718.47 करोड़ रुपये (सकल) के कुल बजट का संदर्भ देते हुए, जिनमें से, लगभग 36.6% का सबसे अधिक आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए है, उसके पश्चात अन्य में से एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाओं के लिए 31.2%, अमृत के लिए 9.6%, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 8.8%, सामान्य पूल आवास के लिए 4.5% (रिहायशी और गैर-रिहायशी) – केलोनिवि, है ,जो पिछले वर्षों के बजट अनुमानों की तुलना में 40% अधिक आबंटन है और इस के लिए समिति ने मंत्रालय की सराहना की। सभापति ने बढ़ते शहरीकरण को इंगित करते हुए बताया, 2011 में 37.71 करोड़ की शहरी आबादी थी, वह बढ़कर 2031 तक 60 करोड़ होने की संभावना है और 2050 तक देश की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में रहेगी, सभापति महोदय ने बढ़ती शहरी आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल निकासी नेटवर्क, सीवर ट्रीट्मेन्ट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कुशल परिवहन नेटवर्क, प्रत्येक परिवार को पाइप द्वारा जल आपूर्ति, हरित क्षेत्र, साइक्लिंग ट्रैक आदि जैसी बुनियादी शहरी अवसंरचना प्रदान करने, बढ़ाने और विस्तारित करने के लिए भारी धनराशि की आवश्यकता पर बल दिया।

4. चूंकि, समिति सचिवालय द्वारा भेजी गई प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने में अनुचित विलंब हो रहा है, सभापति ने, इसे गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिया कि भविष्य में इस तरह के विलंब से बचा जाए और उसमें दिए गए आंकड़े भी अद्यतन होने चाहिए।

5. मंत्रालय ने समग्र बजट परिव्यय 2022-23, शहरी कायाकल्प में समग्र निवेश, बजट अनुमान, राजस्व और पूंजीगत व्यय, मंत्रालय के वास्तविक व्यय, उपयोग प्रमाण पत्र की अवधारणा

और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और अमृत सहित मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों के परिणामों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तीसरे पक्ष के निरीक्षण घटक पर चर्चा करते हुए समिति ने मंत्रालय द्वारा इस बारे में अलग से संक्षिप्त जानकारी प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की कि तीसरे पक्ष का निरीक्षण कैसे किया जाता है और इसमें क्या पद्धति शामिल है।

6. रेलवे की अप्रयुक्त भूमि का उपयोग करने के लिए समिति के सुझाव पर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) घटक के अंतर्गत मुंबई में भूमि की उपलब्धता के मुद्दे पर, मंत्रालय ने रेल मंत्रालय और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को आमने-सामने बैठ कर विचार-विमर्श करने के लिए समिति के हस्तक्षेप का अनुरोध किया।

(तत्पश्चात समिति की बैठक मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित हुई)

7. मध्याह्न भोजन के पश्चात, मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम),प्रधानमंत्री-स्वनिधि, स्मार्ट सिटीज मिशन और एमआरटीएस तथा मेट्रो परियोजनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने सदस्यों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों और शंकाओं का उत्तर दिया।

8. मंत्रालय के सचिव से अनुरोध किया गया कि सदस्यों द्वारा उठाए गए जिन मुद्दों/प्रश्नों के उत्तर चर्चा के दौरान नहीं दिए जा सके उनके लिखित उत्तर प्रस्तुत करें।

(तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए)

समिति की बैठक का कार्यवाही रिकॉर्ड शब्दशः रखा गया है।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुबंध-दो

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2021-2022)

आवासन और शहरी कार्य संबंधी समिति की बुधवार, 23 **मार्च**, 2022 **को हुई सातवीं बैठक का कार्यवाही-सारांश।**

समिति की बैठक 1030 बजे से 1100 बजे तक समिति कक्ष 'सी', भूतल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जगदम्बिका पाल **-** **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री बंदी संजय कुमार
3. श्री रामचरण बोहरा
4. *श्री बैन्नी बेहनन*
5. एडवोकेट ए.एम. आरिफ
6. श्री शंकर लालवानी
7. *श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे*
8. श्री सुनील कुमार सोनी
9. श्रीमती हेमा मालिनी
10. श्री हसनैन मसूदी
11. श्री पी. सी. मोहन
12. श्री अदला प्रभाकर रेड्डी
13. श्री रमेश चन्द्र कौशिक

राज्य सभा

14. श्री रामचन्द्र जांगड़ा
15. श्री कुमार केतकर
16. श्री के. आर. एन. राजेश कुमार
17. श्री संजय सिंह
18. श्री एम.जे. अकबर
19. श्री शुभाशीष चक्रबर्ती
20. श्री दिग्विजय सिंह

सचिवालय

1.	***श्री वी.के. त्रिपाठी***	***-***	***संयुक्त सचिव***
2.	***श्री श्रीनिवासुलु गुंडा***	***-***	***निदेशक***
3.	***सुश्री स्वाति परवल***	***-***	***उप सचिव***

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के सदस्यों का समिति की बैठक में स्वागत किया।

3. *तत्पश्चात्,* ***समिति ने "आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2022-23)" संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन को विचारार्थ लिया और समिति द्वारा दिए गए सुझावों के आलोक में मामूली सम्पादकीय संशोधनों के साथ उसे स्वीकार किया।***

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई ।

*****